दूरभाष सं./ Phone No.26142871

केन्द्रीय कर (अपील्स - II) आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CENTRAL TAX (APPEALS-II)
न्यूरी टावर्स, दूसरी मंजिल, प्लॉट सं. 2054, I ब्लॉक
NEWRY TOWERS, 2ND FLOOR, PLOT NO.2054, I BLOCK,
II एवेन्यू, 12 वां मैन रोड, अण्णा नगर, चेन्नई - 600 040
II AVENUE, 12TH MAIN ROAD, ANNA NAGAR, CHENNAI – 600 040

फाइल सं./File No. GAPPL/MISC/56/2021-PRO   दिनांक/ Dated:22.2.2021

निविदा सं. /TENDER NO. 1/2021

वाहनों को किराए पर लेने हेतु ई - निविदा आमंत्रण सूचना
NOTICE INVITING e-TENDER FOR HIRING OF VEHICLES

माल और सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, आयुक्त का कार्यालय, अपील-II आयुक्तालय के लिए क्रमशः कर्मचारी गाड़ी और परिचालन वाहनों के रूप में उपयोग करने के लिए दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2022 तक की अवधि के लिए माल और सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, आयुक्त का कार्यालय, अपील-II आयुक्तालय, चेन्नई - 40, चालक सहित मासिक आधार पर तीन वाहनों (एक कर्मचारी गाड़ी और दो परिचालन वाहनों) की किराएदारी के लिए दौरे और यात्रा एजेंसियों में लगे प्रतिष्ठित सेवा प्रदाताओं से ई-निविदा कोटेशन आमंत्रित करता है। दरें प्रति माह के आधार पर बताई जाएं और मासिक भुगतान बताई गई दरों से ऊपर और अधिक नहीं होगा ।

The Office of the Commissioner of GST and Central Excise, Appeals-II Commissionerate, Chennai-40 invites e-tender quotations from reputed service providers engaged in Tour & Travels Agencies for Hiring of three vehicles (one Staff car and two Operational cars) along with drivers on monthly basis for using as Staff cars and Operational vehicles respectively for the Office of the Commissioner of GST and Central Excise, Appeals-II Commissioneratefor a periodfrom **01.04.2021 to 31.03.2022**. The rates are to be quoted per month basis and monthly payment would not be over and above the rates quoted.

1. दस्तावेज़ डाउनलोड / Document Download:

निविदा दस्तावेज़ सी.पी.पी.पी साईट https://eprocure.gov.in/eprocure/app प्रमाणकर्ता प्राधिकरण नियंत्रक (प्र.प्रा.नि.), भारत सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई भी अभिकरण द्वारा जारी और प्र.प्रा.नि.के मूल प्रमाण पत्र की विश्वसनीयता - श्रृंखला तक खोजे जा सकने वाले डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र (डि.ह.प्र) प्राप्त, बोलीदाताओं के द्वारा निम्न समय सारणी के अनुसार डाउनलोड किए जा सकते हैं ।

Tender documents may be downloaded from CPPP site https://eprocure.gov.in/eprocure/app_as per the schedule as given in TIME SCHEDULE as under by the bidders having Digital Signature Certificate (DSC) issued from any agency authorized by Controller of Certifying Authority (CCA), Govt. of India and which can be traced up to the chain of trust to the Root Certificate of CCA.

File No.GAPPL/MISC/56/2021-PRO-O/o COMMR-CGST-APPL-II-CHENNAI

निविदा की समय सारणी

TIME SCHEDULE OF TENDER

क्रम.सं. Sl.No	विवरण Particulars	तिथि Date	समय Time
1	निविदा की इ - प्रकाशन की तिथि Tendere-publish date	23.02.2021	17:00 बजे / hrs
2	दस्तावेज़ डाउनलोड करने की प्रारंभ तिथि Document download start date	23.02.2021	17:30 बजे / hrs
3	स्पष्टीकरण मांगने की प्रारंभ तिथि (ऑन - लाइन) Start datefor seekingclarification (on-line)	23.02.2021	17:30 बजे / hrs
4	स्पष्टीकरण मांगने की अंतिम तिथि (ऑन - लाइन) Last datefor seeking clarification (on-line)	12.03.2021	17:00 बजे / hrs
5	बोली प्रस्तुतीकरण की प्रारंभ तिथि Bid submission start date	23.02.2021	17:30 बजे / hrs
6	बोली प्रस्तुतीकरण की अंतिम तिथि Bid submissionlast date	15.03.2021	11:00 बजे / hrs
7	निविदा खोलने की तिथि (अर्हक बोली) Tenderopening date (Qualifying Bid)	16.03.2021	14:00 बजे / hrs

2. बोली प्रस्तुतीकरण / Bid Submission:

1. बोली सी.पी.पी.पी. वेबसाइट https://eprocure.gov.in/eprocure/app में केवल ऑनलाईन ही प्रस्तुत की जा सकती है । निविदाकार / ठेकेदार को सलाह दी जाती है कि बोली ऑनलाईन प्रस्तुत करने के लिए वह अनुलग्नक - च में दिए गए "ऑनलाईन बोली प्रस्तुत करने के लिए बोली लगाने वालों को अनुदेश" का अनुसरण करें ।
Bids shall be submitted online only at CPPP website: https://eprocure.gov.in/eprocure/app. Tenderer/Contractor are advised to follow the instructions "Instructions to Bidder for Online Bid Submission" provided in the Annexure-F for online submission of bid.

2. बोली के दस्तावेजों को काला और सफेद विकल्प के साथ 100 डी.पी.आई में स्कैन करें जो कि स्कैन्ड दस्तावेजों के आकार को कम करता है ।
Bid documents may be scanned with100 dpi with black and white option which helps in reducing size of the scanned document.

3. एक ठेकेदार या व्यावसायिक संबंध रखने वाले अनेक ठेकेदारों द्वारा एक से अधिक निविदाएं प्रस्तुत नहीं की जाएंगी । किसी भी परिस्थिति में पिता और उसके पुत्र (पुत्रों) या अन्य करीबी रिश्तेदारों को जो एक दूसरे के साथ व्यावसायिक संबंध रखते हैं (यानी जब एक या एक से अधिक साझेदार / निर्देशक उभयनिष्ठ हैं), एक ही संविदा के लिए पृथक प्रतियोगियों के रूप में निविदा प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी । इन शर्तों का उल्लंघन होने पर दोनों दलों के निविदाओं को अस्वीकार किया जा सकता है ।
Not more than one tender shall be submitted by one or more service provider having business relationship. Under no circumstance will father and his son(s) or other close relations who have business relationship with one another (i.e. when one or more partner(s)/director(s) are common) be allowed to tender for the same contract as separate competitors. A breach of this condition will render the tenders of both parities liable for rejection.

4. केन्द्रीय सार्वजनिक प्रापण पोर्टल (कें.सा.प्रा.पो.) की वेबसाइट https://eprocure.gov.in/eprocure/app से निविदा डाउनलोड करने वाला निविदाकर्ता डाउनलोड किए हुए मूल्य बोली टेम्पलेट सहित निविदा प्रपत्र में-किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ / संशोधन नहीं करेगा । यदि यह पाया जाए कि इसमें किसी प्रकार से छेड़-छाड़ / संशोधन किया गया है तो निविदा को पूर्ण रूप से अस्वीकार कर दिया जाएगा एवं निविदाकर्ता को इस कार्यालय से व्यवसाय करने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा ।

Tenderer who has downloaded the tender from the Central Public Procurement Portal (CPPP) website https://eprocure.gov.in/eprocure/app shall not tamper/modify the tender form including downloaded price bid template in any manner. In case if the same is found to be tampered/modified in any manner, tender will be completely rejected and EMD would be forfeited and tenderer is liable to be banned from doing business with this Office.

5. आशायित निविदाकर्ता, कोई भी शुद्धि पत्र / अनुशेष / संशोधन के लिए सी.पी.पी.पी. वेबसाईट https://eprocure.gov.in/eprocure/app को बोली प्रस्तुतीकरण के बंद होने की तिथि तक नियमित रूप से देखते रहें ।

Intending tenderer are advised to visit again CPPP website https://eprocure.gov.in/eprocure/app regularly till closing date of submission of tender for any corrigendum/ addendum/amendment.

6. दरें केवल भारतीय रुपए में बताई जाएं ।

The rates shall be quoted in Indian Rupees only.

7. दरें सभी कर (जी.एस.टी. के सिवाय), शुल्क, उगाही इत्यादि सहित हों और सांविधिक करों, शुल्कों आदि में कोई भी संशोधन हो तो उसके संबंध में जिम्मेदारी बोली लगाने वाले की ही होगी ।

The rates will be inclusive of all taxes (except GST), fees, levies, etc. and any revision in the statutory taxes, fees, etc will be the responsibility of the Bidder.

8. अंकों और शब्दों में संसूचित राशि में किसी भी प्रकार की विसंगति / अंतर होने की स्थिति में, शब्दों में संसूचित राशि अभिभावी होगी और उसी पर विचार किया जाएग ।

In case of any discrepancy/difference in the amounts indicated in figures and words the amount in words will prevail and will be considered.

9. बताई गई दरें संविदा की अवधि के साद्यंत स्थिर रहेंगी और किसी भी कारण से कोई संशोधन स्वीकार्य नहीं होगा ।

The quoted rates shall remain firm throughout the tenure of the contract and no revision is permissible for any reason.

अधिक जानकारी के लिए, **श्री वाई श्रीनिवास राव, संयुक्त आयुक्त** को 044-26142750 पर संपर्क किया जा सकता है ।

For further details, **Shri Y Srinivasa Rao, Joint Commissioner** may be contacted at 044-26142750

नोट : विभाग बिना किसी कारण बताए बोलियों को खोलने की तिथि को स्थगित करने या किसी भी बोली को स्वीकार करने या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार रखता है ।

NOTE: The Department reserves the right to postpone the date of opening or to accept or reject any or all the bids, without assigning any reasons.

(वाई श्रीनिवास राव / Y. SRINIVASA RAO)
संयुक्त आयुक्त / JOINT COMMISSIONER

प्रतिलिपि / Copy to:

1. जन संपर्क अधिकारी, चेन्नई उत्तर / दक्षिण आयुक्तालय सूचना पट्ट पर प्रस्तुत करने हेतु ।
   The PRO, Chennai North/South to put up on the Notice Board.

2. अधीक्षक,माल और सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कंप्युटर, आधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।

   The Superintendent of GST & Central Excise, Computers, Chennai North to upload in official website.

दूरभाष सं. / Phone No.26142871

केन्द्रीय कर (अपील्स - II) आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CENTRAL TAX (APPEALS-II)
न्यूरी टावर्स, दूसरी मंजिल, प्लॉट सं. 2054, I ब्लॉक
NEWRY TOWERS, 2ND FLOOR, PLOT NO.2054, I BLOCK,
II एवेन्यू, 12 वां मैन रोड, अण्णा नगर, चेन्नई - 600 040
II AVENUE, 12TH MAIN ROAD, ANNA NAGAR, CHENNAI – 600 040

फाइल सं./File No. GAPPL/MISC/56/2021-PRO दिनांक/ Dated:22.02.2021

निविदा दस्तावेज / TENDER DOCUMENT

आयुक्त, जीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अपील-II आयुक्तालय, न्यूरी टावर्स नं 2054-I, II अवेन्यू, अण्णा नगर, चेन्नई-40 के लिए प्रचालन वाहन / स्टाफ वाहन के रूप में उपयोगार्थ मासिक आधार पर वाहनों की किराएदारी के लिए **01.04.2021 से 31.03.2022** तक की अवधि के लिए टूर एवं ट्रैवेल्स एजेंसियों के प्रतिष्ठित सेवा प्रदाताओं से ई-टेंडर / बोली आमंत्रित हैं।

E-Tender/Bids are invited from reputed service providers engaged in Tour & Travels Agencies for Hiring of vehicles on monthly basis for using as Operational vehicles/Staff cars for Office of the Commissioner of GST and Central Excise, Appeals-II Commissionerate, Newry Towers No.2054-I, II Avenue, Anna nagar, Chennai-40 for a period from **01.04.2021 to 31.03.2022**.

सूचक / INDEX

क्रम सं. Sl. No.	विवरण / Particulars	पृष्ठ सं. Page No.
1.	निविदा सूचना / **Tender Notice**	1-4
2.	नियम और शर्तें - **अनुलग्नक I** Terms & Conditions **– Annexure I**	6-21
3.	तकनीकी बोली - **अनुलग्नक क** Technical Bid **– Annexure A**	22-23
4.	वित्तीय बोली - **अनुलग्नक ख** Financial Bid **-Annexure-B**	24
5.	किसी भी अदालत द्वारा गैर-काली-सूचीकरण या गैर-दोष सिद्धि के संबंध में शपथ पत्र - अनुलग्नक ग Affidavit regarding non- blacklisting or non-convicting by any court of law **-Annexure-C**	25
6.	निष्पादन सुरक्षा के लिए बैंक गारंटी का प्रोफार्मा - अनुलग्नक घ Proforma of Bank Guarantee for performance security **-Annexure- D**	26-28
7.	अनुबंध समझौता - अनुलग्नक ङ Contract Agreement - **Annexure-E**	29-36
8.	ऑनलाइन बोली जमा करने के अनुदेश - अनुलग्नक च Instructions for online bid submission- **Annexure-F**	37-42

अनुलग्नक / ANNEXURE – I

नियम और शर्तें / TERMS AND CONDITIONS

I. निविदा प्रक्रिया और निविदा दस्तावेज प्रस्तुत करना
Tender Process and submission of tender documents:-

1. बोली / निविदा में दो भाग शामिल होंगे "तकनीकी बोली" के लिए बोली - अनुलग्नक क में निर्धारित प्रपत्र में ई-टेंडर / बोली दस्तावेज और "वित्तीय बोली" के लिए अनुलग्नक ख में निर्धारित प्रपत्र में । ये परिपूर्ण रूप से भरे जाएं तथा भारत सरकार, केन्द्रीय सार्वजनिक प्रापण पोर्ट्स (ई-प्रापण) की वेबसाइट पर **"किराए पर वाहन हेतु निविदा"** के रूप में अपलोड / ऑनलाइन जमा किए जाएं।
The bid / tender will consist of two parts – The e-tender/ bid documents for "Technical bid" in the proforma prescribed in Annexure – A and for the "Financial Bid" in the proforma prescribed in Annexure – B shall be completed in all aspects and are to be uploaded/ submitted online in the Government of India, Central Public Procurement Ports (e-procurement) website as **"TENDER FOR HIRING OF VEHICLES".**

2. बोलीदाता निविदा दस्तावेज में निहित नियमों और शर्तों को पढ़ने और समझने के प्रमाणस्वरूप प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करके मुहर लगाएगा ।
The bidders shall sign and stamp each page of the tender document as a token of having read and understood the terms and conditions contained therein.

3. अहस्ताक्षरित / अपूर्ण प्राप्त निविदा / कोटेशन को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा। केवल उन बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियाँ, खोली जाएंगी और विचार के लिए ली जाएंगी, जो तकनीकी बोली में अर्हित होते हैं । तकनीकी बोली में अर्हता नहीं रखने वाले बोलीदाताओं की वित्तीय बोली पर विचार नहीं किया जाएगा।
The tenders/ quotations received unsigned/ incomplete shall be summarily rejected. The financial bids of those bidders who have qualified in the technical bid only shall be opened and taken for consideration. The Financial Bid of the bidders who do not qualify in technical bid will not be considered and opened.

4. नियम और शर्तों के तहत मांगी गई सभी जानकारी और अन्य जानकारी तकनीकी बोली में दी जानी है, जबकि उनके द्वारा बताया गया मूल्य केवल वित्तीय बोली में उल्लिखित किया जाएगा ।
All information sought under Terms and Conditions and other information is to be given in Technical Bid while the price quoted by them will be mentioned only in the Financial Bid.

5. निविदा दस्तावेजों को 15.03.2021 को 11.00 बजे से पहले अपलोड / ऑनलाइन जमा किया जाना चाहिए। अपूर्ण और / या नियत तिथि के बाद दायर किए गए दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाएंगे। निविदा 16.03.2021 को 14.00 बजे खोली जाएगी।

The tender documents must be uploaded/ submitted online before 11.00 Hrs on 15.03.2021. The documents received incomplete and / or filed after the due date & time shall not be accepted. The Tender shall be opened on 16.03.2021 at 14.00 hrs.

6. केवल उन्हीं पक्षों की वित्तीय बोलियाँ खोली जाएंगी और विचारार्थ ली जाएंगी, जिनकी तकनीकी बोलियां योग्य पाई जाती हैं ।

The financial bids of only those parties whose Technical Bids are found to be eligible will be opened and considered.

7. विभाग को बिना कोई कारण बताए किसी निविदो को स्वीकार करने या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में और किसी भी मामले में,जीएसटी और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अपील-II चेन्नई के आयुक्त का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा ।

The Department reserves the right to accept or reject any or all tenders without assigning any reason. In case of any dispute of any kind and in respect of whatsoever, the decision of The Commissioner of GST and Central Excise, Appeals-II Chennai will be final and binding.

II. नियम और शर्तें / Terms and Conditions:-

1. सफल बोलीदाता अनुरोध के अनुसार वाहनों को सुलभ कराने में सक्षम होना चाहिए। सुलभ कराए जाने वाले वाहन के प्रकार और संख्या हैं: -

The Successful Bidder should be able to provide the vehicles as requested. The Type and number of Vehicle to be provided are:-

क्रम.सं Sl. No.	वाहन का प्रकार / Type of Vehicle	आवश्यक वाहनों की संख्या No. of Vehicles required	उपयोग / Usage
	वर्ग क Category A		
1)	एसयूवी (केवल सफेद या धातु चांदी रंग वरीय होगा) SUV (white colour will only be preferred).	1	एक महीने में अधिकतम 2500 किलोमीटर के अधीन 30/31 दिन तक उपयोग किया जा सकता है। To be used up to 30/31 days subject to maximum of 2500 Kms in a month.
2)	मध्य आकार के वाहन - ऑपरेशनल कारों के	1	एक महीने में अधिकतम 2000 किलोमीटर

	लिए जैसे हुंडई वैरना/ निसान सनी / हौंडा सिटी या इसके समकक्ष (केवल सफेद या धातु चांदी रंग वरीय होगा) Mid–Sized Vehicle – for Operational cars such as Hyndai Verna/ Nissan Sunny/Honda City or its equivalent(white colour will only be preferred).		के अधीन 25/26 दिन तक उपयोग किया जा सकता है। To be used up to 25/26 days subject to maximum of 2000 Kms in a month
वर्ग ख Category B			
3)	छोटे आकार के वाहन - स्विफ्ट डिजायर / इटियॉस / हुंडई एक्सेंट (केवल सफेद या धातु चांदी रंग वरीय होगा) Small sized Vehicle – Swift Dzire/Etios/ Hyundai Accent (white colour will only be preferred).	1	एक महीने में अधिकतम 2000 किलोमीटर के अधीन 25/26 दिन तक उपयोग किया जा सकता है। To be used up to 25/26 days subject to maximum of 2000 Kms in a month

2. वाहन का अनुबंध 01.04.2021 से 31.03.2022 तक की अवधि के लिए मान्य होगा, जो नियम और शर्तों के खंड (ओं) के अधीन होगा ।

The contract for the vehicle shall be valid for a period of **from 01.04.2021 to 31.03.2022,** subject to clause/(s) of terms & conditions.

3. वाहन 3 वर्ष से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए ।

Vehicles should not be more than 3 years old.

4. सेवा प्रदाता को परिचालन संबंधी सुगमताओं के लिए चेन्नई में स्थित होना चाहिए।

The Service Provider should be based in Chennai for operational conveniences.

5. चमचमाती काया और अच्छे साज-सामान के साथ गाडी को चलती स्थिति में रखा जाना चाहिए। वाहन के साथ उपयुक्त सीट बेल्ट और सुरक्षा हवाई बैग लगाया जाना है। वाहन को हमेशा साफ और स्वच्छ स्थिति में रखना चाहिए।

Vehicle should be kept in perfect running condition with shining body and good upholstery. The vehicle is to be fitted with appropriate seat belts and safety air bags. The vehicle should be always kept in a neat and clean condition.

6. किराए पर लिया जाने वाला वाहन संबंधित मोटर वाहन अधिनियम / नियमों के अनुरूप होना चाहिए और सही चलन / यांत्रिक स्थिति में होना चाहिए। वाहन को केवल तमिलनाडु पंजीकरण संख्या के साथ पंजीकृत होना चाहिए।

The vehicle to be hired should conform to the relevant Motor Vehicle Act/ Rules and be in perfect running/ mechanical condition. The vehicle should be registered with Tamil Nadu Registration numbers only.

7. प्रत्येक वाहन के लिए कम से कम दो सेट सफेद सीट कवर या तौलिये और नैपकिन होना चाहिए। इसे हर हफ्ते बदलना चाहिए। हर वाहन में एक एयर स्प्रे होना चाहिए। उल्लिखित वस्तुओं को एजेंसी / फर्म के मालिक की लागत पर उपलब्ध कराया जाएगा।

There should be at least two sets of white seat covers or towels and napkins for each vehicle. It should be changed every week. There should be an air spray in every vehicle. The items mentioned shall be made available at the cost of the owner of the agency/ firm.

8. वाहन चालक को न्यूनतम पांच (5) वर्षों के अनुभव के साथ वैध ड्राइविंग लाइसेंस और स्वच्छ ड्राइविंग रिकॉर्ड होना चाहिए। सेवा प्रदाताओं की प्रेरणा पर, पुलिस अधिकारियों द्वारा उनके पूर्ववृत्त का विधिवत सत्यापन किया जाना चाहिए।

The driver should be having valid driving license and clean driving record, with a minimum of **five (5) years experience**. Their antecedents should be duly verified by Police authorities, at the instance of the Service Provider.

9. प्रदान किए गए वाहन के चालक को यातायात नियमों और समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित अन्य सभी विनियमों का पालन करना चाहिए। पुलिस / ट्रैफिक पुलिस द्वारा जो भी कारण के लिए कोई भी चालान जारी करने के मामले में, सेवा प्रदाता जुर्माने का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, और अन्य परिणाम सहन करेगा।

The driver of the vehicle provided must follow traffic rules and all other regulations prescribed by the Government from time-to-time. In case of issue of any challan for whatsoever reason by the Police/ Traffic Police, Service Provider shall be liable to pay the fine imposed, and bear other consequences.

10. वाहन चालक को सफेद शर्ट, सफेद पतलून और काले जूते पहनने चाहिए। वाहन चालक को ड्यूटी करते समय स्वच्छता और सभी शिष्टाचार और प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। ड्राइवर को एक मोबाइल फोन साथ में रखना होगा जो काम करने की स्थिति में हो और इसके लिए इस कार्यालय द्वारा कोई अलग भुगतान नहीं किया जाएगा। तैनात चालक वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करेगा ।

Driver should wear white shirt, white trouser and black shoes. Driver should observe cleanliness and all the etiquette and protocol while performing the duty. The driver must carry a mobile phone in working condition, for which, no separate payment shall be made by this Office. The driver deployed shall not use the mobile phone while driving the vehicle.

11. वाहन चालक को चेन्नई और उपनगर की सड़कों और मार्गों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। चालक के संचालन और कार्यों को मोटर वाहन अधिनियम और नियमों के अनुसार नियंत्रित किया जाएगा।

The driver should be well conversant with roads and routes of Chennai and suburbs. The operation and functions of the driver shall be governed as per the Motor Vehicle Act and Rules.

12. वाहन के एक विशिष्ट स्थान पर निम्नलिखित को प्रदर्शित करना चाहिए: "गैर-जिम्मेदार / अंधाधुंध ड्राइविंग या सड़क के किसी विशेष खंड पर निर्धारित गति सीमा का अतिक्रमण होने की स्थिति में, आप वाहन के मालिक (मालिक का नाम, टेलीफोन और मोबाइल नंबर प्रदर्शित किया जाना चाहिए) को शिकायत कर सकते हैं।" सभी शिकायतों को वाहन के मालिक द्वारा जांचा जाना चाहिए और दोषी पाए जाने पर, विभाग को सूचना देते हुए चालक के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।

The vehicle should display at a conspicuous place the following: "in case of irresponsible/ rash driving or exceeding speed limit prescribed on a particular stretch of road, you may complain to the owner of the vehicle (name of the owner, Telephone and Mobile No. should be displayed)." All such complaints should be probed into by the owner of the vehicle and action taken against the erring Driver, if found guilty, under intimation to the Department.

13. निर्धारित प्रोफ़ॉर्मा अर्थात् अनुलग्नक 'ग' में किसी भी न्यायालय द्वारा गैर-काली सूचीकरण या गैर-दोष सिद्धि से संबंधित एक हलफनामा प्रत्येक वाहन के संबंध में अलग से प्रस्तुत किया जाना है।

An affidavit in prescribed Performa i.e. **Annexure- C** regarding non- blacklisting or non-convicting by any court of law is to be duly submitted in respect of each vehicle separately.

14. बयाना जमा (ईएमडी) / निष्पादन सुरक्षा जमा

Earnest Money Deposit (EMD)/ Performance Security Deposit

i) दर / बोली / प्रस्ताव बिना किसी शर्त, धारणा, योग्यता आरक्षण या भिन्नता के होना चाहिए। दर / बोली / प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में अंकों में और शब्दों में उल्लिखित होना चाहिए। किसी भी विसंगति के मामले में, शब्दों में उद्धृत दरें अभिभावी होंगी। सशर्त निविदा प्रस्ताव या निर्धारित विनिर्देशन से विचरण किया हुआ प्रस्ताव निविदा हेतु प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपात्र होगा। मूल्य और मूल्य घटक दृढ़ रहेंगे और अनुबंध के निष्पादन के साद्यंत किसी भी मूल्य वृद्धि के कारण किसी भी मूल्य भिन्नता या समायोजन के अधीन नहीं होंगे।

Rate/ bid/ offer must be without any condition, assumption, qualification reservation or variation. Rate/ bid/ offer must be mentioned in prescribed Performa in figures and in words. In case of any discrepancy, rates quoted in words will prevail. Conditional tender offer or offer at variance from prescribed specification would be ineligible to compete for the tender. Prices and price components shall be firm and shall not be subject to any price variation or adjustment on account of any price escalations throughout the execution of the contract.

ii) उद्धृत दरें जीएसटी से अनन्य होनी चाहिए। जीएसटी को छोड़कर अन्य सभी कर, शुल्क, उगाही, बीमा प्रभार आदि सेवा प्रदाता द्वारा वहन किए जाएंगे।

The rates quoted should be exclusive of GST. All taxes, fees, levies, Insurance Charges etc. other than GST would be borne by the Service Provider.

iii) सेवा प्रदाता रु.30,000 / - (रुपए तीस हजार मात्र) का प्रतिदाय योग्य बयाना जमा / बोली सुरक्षा किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक / अनुसूचित बैंक से "भुगतान और लेखा अधिकारी, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, चेन्नई" के नाम पर चेन्नई में देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में तैयार कर जन संपर्क अधिकारी (पीआरओ) को व्यक्तिगत रूप से अपील- II आयुक्तालय में अंतिम तिथि यानि 15.03.2021 को 11.00 बजे से पहले जमा करेगा । बयाना जमा के बिना योग्य बोलियां अस्वीकार कर दी जाएंगी। चयन प्रक्रिया के अंत में सभी असफल बोलीकर्ताओं को बयाना जमा लौटा दिया जाएगा। तथापि, सफल बोलीदाता के वापस लेने या निविदा चयन प्रक्रिया के दौरान उसके द्वारा प्रस्तुत विवरणों के अयथार्थ या गलत पाए जाने वाले के मामले में बयाना जमा जब्त कर लिया जाएगा। बयाना जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा । सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत एमएसएमई उद्यम के रूप में पंजीकृत निविदाओं को उक्त अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि एमएसएमई के लिए सार्वजनिक खरीद नीति पर एफएक्यू (संख्या 20) के तहत परिकल्पित किया गया है, आदेश 2012 24 अक्टूबर 2016 को जारी किया गया। F.No. में 22 (1) / 2012 एमए यथा संशोधित। वे तकनीकी बोली के साथ 'बोली सुरक्षा प्रमाणपत्र' भी प्रस्तुत करेंगे।

The service provider shall make refundable Earnest Money Deposit/Bid Security of Rs. 30,000/- (Rupees Thirty Thousand only) in the form of Demand Draft from any Nationalized Bank / Scheduled Bank drawn in favour of "PAY AND ACCOUNTS OFFICER, CENTRAL EXCISE, CHENNAI." Payable at Chennai and shall be submitted in person to the Public Relations Officer (PRO), Appeals-II Commissionerate on or before the bid submission last date i.e. 15.03.2021 before 11:00 hours. Qualifying bids without Earnest Money Deposit will be rejected. EMD will be returned to all the unsuccessful bidders at the end of the selection process. However, the EMD shall be forfeited in case the successful bidder withdraws or the details furnished found to be incorrect or false during the tender selection process. No interest shall be paid on the Earnest Money Deposit. The tenderers who are registered as MSME Enterprises under Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 need not pay the said Earnest Money Deposit as envisaged under FAQs (No. 20) on Public Procurement Policy for MSMEs, Order 2012 dated 24th October 2016 issued in F.No. 22(1)/2012 MA as amended. They shall submit 'Bid Security Certificate' along with the Technical Bid.

iv) सफल बोलीदाता निष्पादन सुरक्षा के तौर पर सभी 3 वाहन के संबंध में, प्रत्येक वाहन के लिए पृथक रूप से, बोली दस्तावेजों में निर्दिष्ट कुल वार्षिक अनुबंध मूल्य के 5% की राशि के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी की गई चेन्नई में देय बैंक गारंटी, अनुबंध / समझौते के निष्पादन के पूर्व निर्धारित प्रपत्र यथा अनुलग्नक 'घ'में, "जीएसटी और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अपील-II आयुक्तालय के आयुक्त" के नाम पर देगा। निष्पादन सुरक्षा, ठेकेदार के सभी संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने की तारीख से परे साठ दिनों की अवधि के लिए वैध रहनी चाहिए।

The successful bidder shall give performance security in the form of Bank Guarantee in prescribed Performa i.e **Annexure –D** issued by a Nationalized Bank amounting to 5% of the total annual contract value as specified in the bid documents, in respect of all 3 vehicles towards in favour of "The Commissioner of GST and Central Excise,

Appeals-II Commissionerate" and payable at Chennai before execution of the contract/ agreement in respect of each vehicle separately. Performance security should remain valid for a period of sixty days beyond the date of completion of all contractual obligations of the contractor.

v) सफल बोलीदाता के असंतोषजनक निष्पादन के मामले में निष्पादन सुरक्षा जब्त कर ली जाएगी। इस मामले में आयुक्त, जीएसटी और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अपील- II आयुक्तालय का निर्णय अंतिम और सफल बोलीदाता पर बाध्यकारी होगा।

The Performance Security will be forfeited in case of unsatisfactory performance of the successful bidder. The decision of the Commissioner of GST and Central Excise, Appeals-II Commissionerate on this account will be final and binding on successful bidder.

vi) सफल बोलीदाता की पूर्वोक्त तरीके से सुरक्षा जमा के प्रेषण के बाद ही ईएमडी वापस की जाएगी। ऐसे समय तक, बयाना राशि अपने स्वरूप को बनाए रखेगी, जैसे कि, जब तक कि सफल बोलीदाता सुरक्षा जमा प्रस्तुत नहीं करता है।

The EMD of the successful bidder will be refunded only after the remittance of security deposit in the manner as aforesaid. Till such time, the earnest money shall retain its character, as such, till the successful bidder furnishes the security deposit.

15. <u>दरें / Rates:</u>

(i) मूल्य अनुसूची / बीओक्यू अपलोड करने के लिए कृपया अत्यधिक सावधानी बरती जाए। मूल्य अनुसूची / बीओक्यू फ़ाइल के प्रारूप में कोई भी बदलाव इसे बोली लगाने के लिए अयोग्य करार देगा।

Utmost care may kindly be taken to upload price schedule / BOQ. Any change in the format of price Schedule/BOQ file shall render it unfit for bidding.

निम्नलिखित चरणों का पालन किया जाए :-

Following steps may be followed:-

(क) एक्सएलएस प्रारूप में मूल्य अनुसूची / बीओक्यू डाउनलोड करें।

(a) Download price Schedule/BOQ in XLS format.

(ख) केवल एक्सएलएस प्रारूप में यथा-विनिर्दिष्ट,डाउनलोड की गई मूल्य अनुसूची / बीओक्यू में दरें भरें। कृपया केवल बोलीदाता का नाम और अंकों में दरें दर्ज करें।

(b) Fill rates in downloaded price schedule/BOQ as specified in XLS format only. Please enter only bidder name and rates in figures.

(ग) बीओक्यू फाइल पासवर्ड से सुरक्षित एक्सएलएस फाइल है। फ़ाइल को असुरक्षित न करें। कीमत एक ही फाइल में भरनी होती है और उसी को अपलोड करना होता है।

(c) BOQ file is password protected XLS file. Don't unprotect the file. Price has to be filled in the same file and the same has to be uploaded.

(घ) डाउनलोड की गई समेकित शीट / बीओक्यू, मूल्य अनुसूची / बीओक्यू फ़ाइल की भरी हुई प्रतिलिपि को अपने कंप्यूटर में सहेजें और आवश्यकता होने पर सही फ़ाइल (विधिवत भरा हुआ) अपलोड करने के लिए उसका नाम और स्थान याद रखें।

(d) Save filled copy of downloaded consolidated sheet/BOQ, price schedule/BOQ file in your computer and remember its name and location for uploading correct file (duly filled in) when required.

(ii) दर / बोली / प्रस्ताव बिना किसी शर्त, धारणा, योग्यता, आरक्षण या भिन्नता के होना चाहिए। दर / बोली / प्रस्ताव प्रत्येक वाहन और प्रत्येक श्रेणी के संबंध में अलग-अलग तौर पर अंकों में निर्धारित प्रपत्र में उल्लिखित होना चाहिए। सशर्त निविदा प्रस्ताव या निर्धारित विनिर्देशन से विचरण किया हुआ प्रस्ताव निविदा हेतु प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपात्र होगा। मूल्य और मूल्य घटक दृढ़ रहेंगे और अनुबंध के निष्पादन के दौरान किसी भी मूल्य वृद्धि के कारण किसी भी मूल्य भिन्नता या समायोजन के अधीन नहीं होंगे।

Rate / bid / offer must be without any condition, assumption, qualification, reservation or variation. Rate / bid / offer must be mentioned in prescribed Performa in figures in respect of each vehicle and each category separately. Conditional tender offer or offer at variance from prescribed specification would be ineligible to compete for the tender. Prices and price components shall be firm and shall not be subject to any price variation or adjustment on account of any price escalations throughout the execution of the contract.

(iii) अनुबंधित किराया प्रभार में सभी प्रभार शामिल हैं, अर्थात चालक, मरम्मत और पार्किंग, वाहन के रखरखाव, बीमा, मोटर वाहन अधिनियम / राज्य सरकार / केंद्र सरकार के अधीन कर, पेट्रोल / डीजल, तेल और वाहन के प्रचालन और रखरखाव में कोई भी अन्य आकस्मिक खर्च और दंड / जुर्माना आदि ।

Contracted hire charges include all charges, viz. charges of driver, repairs and parking, maintenance of vehicle, insurance, all taxes as per Motor Vehicle Act / State Government / Central Government, petrol / diesel, oil and also any other incidental expenses in running and maintenance of vehicle and penalty / fine etc.

(iv) स्टाफ कार के लिए महीने में 30/31 दिनों के लिए 2500 किलोमीटर एवं परिचालन कारों के लिए महीने में 25/26 दिनों के लिए 2000 किलोमीटर हेतु उद्धत दर के आधार पर सबसे कम दर की निविदा ली जाएगी । उक्त तीनों श्रेणियों के वाहनों के लिए सबसे कम समेकित दर वाली निविदा को सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा।

The lowest tender will be arrived at based on sum of the quoted rate for 30/31 days in a month upto 2500 kms for Staff car and 25/26 days in a month upto 2000 kms for operational cars. The tender getting lowest consolidated rate for all the said three categories of vehicles put together will be declared as successful bidder.

16. सेवा प्रदाता चालू श्रम कानूनों को लागू करेगा और इस संबंध में सभी देनदारियां उनकी होंगी।

The Service Provider will comply with the labour laws in force and all liabilities in this connection will be theirs.

17. यह सेवा प्रदाता की ओर से अनिवार्य है कि चालक को समय-समय पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम का भुगतान नहीं किया जाए ।

It is obligatory on the part of Service Provider that driver is paid not less than minimum wages prescribed under the Minimum Wages Act from time to time.

18. विभाग किसी भी दायित्व के तहत, कानूनी या अन्यथा, सेवा प्रदाता के किसी भी कर्मचारी को किराया अवधि के दौरान या उसकी समाप्ति के बाद कोई भी रोजगार प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं होगा। विभाग, विभाग और सेवा प्रदाता द्वारा तैनात कर्मियों के बीच कोई नियोक्ता-कर्मचारी संबंध नहीं मानता है, विभाग समझौते के दौरान सेवा प्रदाता द्वारा तैनात वाहन / चालक या व्यक्ति को किसी भी क्षति के लिए वित्तीय रूप से या अन्यथा जिम्मेदार नहीं होगा।

The Department will not be under any obligation, legal or otherwise, to provide any employment to any of the personnel of the Service provider during or after the expiry of the hire period. The Department recognizes no employer-employee relationship between the Department and the personnel deployed by the Service Provider, The Department shall not be responsible financially or otherwise for any damage to the vehicle/driver or person deployed by the Service Provider during the course of agreement.

19. खराब सेवा या किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, आयुक्त, जीएसटी और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अपील -II और सेवा प्रदाता के बीच के अनुबंध को दोनों पक्षों से एक महीने की पूर्व सूचना के बाद रद्द किया जा सकता है।

The contract between the Commissioner of GST and Central Excise, Appeals-II and the Service Provider can be cancelled after a prior notice of one month from either side, in the event of poor service or violation of any of the conditions stipulated.

20. परिचालन वाहन चालक की संरक्षा और सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल सेवा प्रदाता की होती है। अनुबंध की अवधि के दौरान अपने परिचालन वाहन को हुई किसी भी क्षति / मरम्मत की देखभाल करना भी सेवा प्रदाता की पूर्ण जिम्मेदारी है।

The responsibility for the safety and security of the operational vehicle driver solely lies with the Service Provider. It is also the service Provider's absolute responsibility to take care of any damage/ repairs caused to his operational vehicle during the period of the contract.

21. अल्प सूचना पर भी परिचालन वाहन की व्यवस्था करनी होगी। माना जाएगा कि महीने के सभी दिनों,सप्ताह के सात दिनों के लिए वाहन आयुक्त, जीएसटी और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,अपील II के कार्यालय के नियंत्रण में होगा ।

Operational Vehicle should be arranged even at short notice. The vehicle shall be deemed to be at the disposal of the Office of the Commissioner of GST and Central Excise, Appeals-II for all the days of the month, seven days a week.

22. जरूरतों और आपातकाल के मामले में सेवा प्रदाता से संपर्क करने के लिए सेवा प्रदाता के पास 24 घंटे 7 दिन काम करने वाला एक टेलीफोन कनेक्शन होगा और उक्त टेलीफोन नंबर को आयुक्त, जीएसटी और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अपील II के कार्यालय को सूचित करना होगा ।

The Service Provider shall have a telephone connection working 24 hours 7 days for contacting the Service Provider in case of needs and emergency and the said telephone number has to be informed to Office of the Commissioner of GST and Central Excise, Appeals-II .

23. प्रत्येक वाहन के लिए समय और मील-दूरी को दर्शाने वाला एक दैनिक रिकॉर्ड रखा जाएगा। मील-दूरी की गणना रिपोर्टिंग पॉइंट से रिलीविंग पॉइंट तक होगी और गैरेज से गैराज के आधार पर गणना नहीं की जाएगी ।

A daily record indicating time and mileage for each vehicle shall be maintained. The calculation of mileage shall be from the reporting point to relieving point and will not be calculated on garage to garage basis.

24. सरकारी सेवा में कार्यरत या विभाग का कोई भी व्यक्ति इस निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र नहीं है।

Any person in government service or an employee of the department is not eligible to participate in this Tender process.

25. वाहन का व्यापक बीमा होना चाहिए और परिवहन प्राधिकरण या किसी अन्य संबंधित प्राधिकरण से आवश्यक अनुमति/अनापत्ति लेनी चाहिए। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए आवश्यक प्रदूषण प्रमाण पत्र भी वाहन के साथ ले जाने चाहिए। उपरोक्त प्रमाणपत्रों की प्रति आयुक्त, जीएसटी और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अपील- II के कार्यालय को देनी होगी ।

Vehicle should be comprehensively insured and should carry necessary permits/ clearance from the Transport Authority or any other concerned Authority. The vehicle should also carry necessary pollution certificates issued by the competent authority. Copy of the above certificates has to be furnished to the Office of the Commissioner of GST and Central Excise, Appeals-II .

26. वाहन चलाने के लिए ईंधन के रूप में एलपीजी सिलेंडर का उपयोग किसी भी स्थिति में नहीं किया जाए।

LPG Cylinder shall not be used as fuel for running the vehicle in any case.

27. यदि वाहन की स्थिति संतोषजनक नहीं पाई जाती है, तो उन्हें तत्काल प्रतिस्थापन के लिए लौटा दिया जाएगा। यदि कोई प्रतिस्थापन समय पर प्रदान नहीं किया जाता है, तो इस कार्यालय को बाजार से एक वाहन किराए पर लेने का अधिकार है और इस कार्यालय द्वारा की गई अतिरिक्त लागत सेवा प्रदाता द्वारा वहन की जाएगी ।

In case the condition of vehicle is not found to be satisfactory, they shall be returned for

immediate replacement. In case no replacement is provided on time, this Office has the right to hire a vehicle from the market and the additional cost incurred by this Office will be borne by the service provider.

28. **सेवा प्रदाता,किसी भी स्थिति में, प्रदान की गई सेवा को पट्टे पर देना / स्थानांतरित करना / उप-किराएदारी पर देना / देखभाल की नियुक्ति करना नहीं करेगा।**
The service Provider shall in, no case, lease/ transfer/ sublet/ appoint care take for the service rendered.

29. यदि ऑपरेटर वैध जीएसटी पंजीकरण का प्रमाण देने में विफल रहता है और सरकार के खाते में इसे जमा नहीं करता है तो किसी भी जीएसटी का भुगतान नहीं किया जाएगा। यदि सेवा प्रदाता को जीएसटी के भुगतान से छूट दी गई है, तो इस तरह की छूट के प्राधिकार का उल्लेख करते हुए कोटेशन पर स्पष्ट रूप से कहा जाना चाहिए। आयुक्त, जीएसटी और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अपील- II, चेन्नई को इस तरह की जानकारी की प्रामाणिकता के बारे में क्षेत्राधिकार के सहायक / उप आयुक्त, माल और सेवा कर से जांच करने का अधिकार है ।
No GST will be paid if the operator fails to provide proof of valid GST registration and deposit the same into the government account. If the Service Provider is exempted from payment of GST the same should be clearly stated on the quotation, mentioning authority of such exemption. The Commissioner of GST and Central Excise, Appeals-II , Chennai reserves the right to check from the jurisdictional Assistant/ Deputy Commissioner of Goods & Service Tax, the authenticity of such information.

30. लागू टीडीएस राशि को कुल बिल राशि से काटा जाएगा।
Applicable TDS amount will be deducted from the total bill amount.

31. आयुक्त, जीएसटी और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अपील- II, चेन्नई के पास सभी या किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार करने या एक से अधिक प्रस्तावों को स्वीकार करने या बिना किसी कारण बताए आदेश को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
The Commissioner of GST and Central Excise, Appeals-II , Chennai, reserves the right to reject all or any of the offers or accept more than one offer or terminate the order without assigning any reason thereof.

32. बिलिंग मासिक आधार पर की जाएगी। डुप्लिकेट में मासिक बिल संबंधित वाहन प्रभारी को संबंधित माह की अंतिम तारीख या जल्द से जल्द प्रस्तुत किया जाएगा। बिना किसी औचित्य के, हर महीने के पहले सप्ताह के बाद बिल की गैर-प्रस्तुति को ग्रहण नहीं किया जाएगा और यह माना जाएगा कि बोली लगाने वाले के पास भुगतान का कोई दावा नहीं है। विभाग कोई अग्रिम भुगतान नहीं करेगा ।
The billing will be done on monthly basis. The monthly bills in duplicate shall be submitted to the concerned vehicle in-charge on the last date of the corresponding month or at the earliest. Non-submission of the bill beyond 1st week of every month without

justification would not be entertained and it would be presumed that bidder has no claim for payment. The department will not make any advance payment.

33. आयुक्त, जीएसटी और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपील- II, चेन्नई से मासिक बिल राशि की प्राप्ति का लिहाज किए बिना, ड्राइवर का वेतन, सरकारी कर आदि समेत प्रदत्त सेवाओं से संबंधित देय बकाया,सेवा प्रदाता द्वारा तुरंत चूक के बिना परवर्ती महीने के 10 वें दिन से पहले निपटाया जाएगा।

Irrespective of the receipt of the Monthly bill amount from the Commissioner of GST & Central Excise Appeals-II , Chennai any dues payable relating to the services rendered including the salary of the Driver, Govt. taxes etc., shall be promptly settled by the Service Provider without any default, before 10th of succeeding month.

34. सेवा प्रदाता किराए के वाहन के संबंध में सभी सरकारी / स्थानीय करों और बकाया के समय पर भुगतान के लिए जिम्मेदार होंगे।

The Service Providers shall be responsible for timely payment of all the Government / local taxes and dues in respect of the hired vehicle.

35. वाहन की किराएदारी शुरू होते ही, वाहन और ड्राइवर को तब तक नहीं बदला जाना चाहिए जब तक कि आयुक्त, जीएसटी और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अपील- II, चेन्नई द्वारा अनुदेश न दिया जाए। नामित ड्राइवर को बदलने की सूचना, ऐसे बदलाव के काफी पहले दी जानी चाहिए । इस कार्यालय द्वारा यथाईप्सित किसी भी समय वाहन उपलब्ध हो।

Once the hiring of vehicle commences, the vehicle and the driver should not be changed unless instructed by the Commissioner of the GST and Central Excise, Appeals-II , Chennai. Any change in the designated driver should be intimated well in advance before such change is affected. The vehicle must be available at any time as desired by this office.

36. आयुक्त, जीएसटी और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अपील- II,चेन्नई केवल मासिक किराए प्रभार का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। अन्य दायित्व यानी चालक के मासिक प्रभार, वाहन की मरम्मत और रखरखाव, बीमा, पेट्रोल / डीजल, तेल और किसी भी अन्य आकस्मिक खर्च आदि सेवा प्रदाता द्वारा वहन किए जाएंगे।

The Commissioner of GST and Central Excise, Appeals-II , Chennai shall be liable to pay only the monthly hiring charges. Other liabilities viz. monthly charges of driver, repair and maintenance of vehicle, insurance, petrol/ diesel, oil and any other incidental expenses etc. shall be borne by the Service Provider.

37. आधिकारिक ड्यूटी के दौरान किसी भी वाहन के ठप हो जाने की स्थिति में, सेवा प्रदाता की जिम्मेदारी होगी कि वह एक स्थानापन्न वाहन / प्रतिस्थापन तुरंत प्रदान करे। यदि वाहन समय पर रिपोर्ट नहीं करता है / बिल्कुल ही रिपोर्ट नहीं करता है, तो ग्राहक को बाजार से वाहन किराए पर लेने का अधिकार होगा और इस कार्यालय द्वारा की गई अतिरिक्त लागत सेवा प्रदाता द्वारा वहन की जाएगी।

In case of breakdown of any vehicle during official duty, it shall be the responsibility of the

Service Provider to provide a substitute vehicle/ replacement immediately. In case the vehicle does not report on time/ does not report at all, the customer would have the right to hire a vehicle from the market and the additional cost incurred by this Office will be borne by the Service Provider.

38. वाहन का उपयोग और / या तैनात व्यक्तियों और चालक को चोट आदि से अंतर्गस्त किसी भी दुर्घटना के मामले में, उस से उत्पन्न होने वाले सभी दावों को सेवा प्रदाता द्वारा पूरा किया जाएगा और आयुक्त, जीएसटी और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अपील- II,चेन्नई का इस संबंध में कोई दायित्व नहीं होगा।

In case of any accident, involving the use of vehicle and / or injury etc., to the persons and driver deployed, all the claims arising out of the same shall be met by Service Provider and Commissioner of GST and Central Excise, Appeals-II, Chennai shall have no liability whatsoever in this regard.

39. तैनात चालक को मज़दूरी / वेतन, अन्य हितलाभ, भत्ता एवं केन्द्र / राज्य सरकार / नगर पालिका आदि की दरें, तैनात कार्मिकों को किसी अधिनियम अथवा सरकारी आदेश के अधीन लागू अन्य कानूनों के अनुसार देय सभी अन्य सांविधिक / अन्य बकाया के भुगतान हेतु केवल सेवा प्रदाता उत्तरदाई होंगे । इस संबंध में आयुक्त, माल और सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपील्स - II कार्यालय, चेन्नई का कोई दायित्व नहीं होगा ।

The Service Provider shall be solely responsible for payment of wages/ salaries, other benefits, allowances to driver deployed and all other statutory / other dues payable as per Central / State Government/ Municipality rate etc. other laws etc. as applicable to personnel deployed that might before applicable under any Act of order of the Government. Office of the Commissioner of GST and Central Excise Appeals-II , Chennai shall have no liability whatsoever in the regard.

40. संविदा की अवधि के दौरान किसी भी कारक तत्वों से लागत वृद्धि के कारण दर में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी ।

No increase on rate due to the escalation cost due to whatsoever factors would be permitted during the period of contract.

41. आयुक्त, माल और सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपील्स - II कार्यालय, चेन्नई को अधिकार है कि वे सेवा प्रदाता को कोई भी कारण बताए बिना संविदा अवधि के दौरान किराए पर लिए जान वाले वाहनों की संख्या बढ़ाए या घटाए ।

Office of the Commissioner of GST and Central Excise, Appeals-II , Chennai reserve the rights to increase or decrease the number of vehicle hired without assigning any reasons to the Service Provider during the currency of the contract period.

42. चालकों को ड्यूटी के समय धूम्रपान या मदिरापान (शराब या नशा) का प्रयोग नहीं करना है । यदि चालकों के दुर्व्यवहार या किसी भी सहमत / स्वीकृत निबंधन एवं शर्तों को पूरा करने में विफलता के मामले में अनुबंधित चालक की सततता पर आयुक्त, माल और सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपील्स - II कार्यालय, चेन्नई का विवेकाधिकार रहेगा ।

Driver must not smoke or drink (liquor or intoxicated), while on duty. In case of misbehavior of the driver or failure to meet any or the agreed/ accepted terms and condition. Office of the Commissioner of GST and Central Excise, Appeals-II , Chennai will have discretion on the continuance of the contracted driver.

43. सेवा प्रदाता स्वीकृति - प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय चालक की ड्राइविंग लाइसेंस संख्या बताते हुए उसकी प्रति सहित चालक का नाम व पता प्रदान करे ।

The Service Provider shall provide name & addresses of the driver along with driving license number and copy thereof while submitting acceptance of offer.

44. सेवा प्रदाता यह सुनिश्चित करेगा कि आपूर्त वाहन के स्पीडोमीटर एवं ओडोमीटर ठीक से सील कर दिए गए हैं ताकि यात्रा की गई दूरी को बढ़ाने हेतु कोई छेड़छाड़ न किया जाए । आयुक्त, माल और सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपील्स - II कार्यालय, चेन्नई के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वाहन के स्पीडोमीटर एवं ओडोमीटर की आकस्मिक जांच करेंगे । यदि दोषपूर्ण पाया जाए तो, प्राधिकृत कारखाने से वह सही करवाई जाएगी तथा उसकी लागत सेवा प्रदाता से वसूली जाएगी ।

The Service Provider shall ensure that speedometer and odometer (for measuring distance covered) of vehicle supplied are properly sealed so that no tampering is done with a view to inflate distance travelled. The authorized officers of Office of the Commissioner, Appeals-II, Chennai would carry out surprise checks of speedometer and odometer of the vehicle. If found defective, it should be got fitted from authorized workshop and cost thereof will be recovered from the Service provider.

45. आयुक्त, माल और सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपील्स - II कार्यालय, चेन्नई स्वतंत्र होगा कि वह सेवा में चूक और / अथवा चोरी, सेंध आदि के कारण विभाग को हुए नुकसान के लिए किसी भी भुगतान को पूर्ण या आंशिक रूप से रोके रखे ।

Office of the Commissioner of GST and Central Excise Appeals-II , Chennai shall be at liberty to withhold any of the payments in full or in part for default in service and / or for the loss incurred by the Department as result of theft, burglary etc.

46. वाहन हमेशा ईंधन से पूर्ण होना चाहिए । ब्रेकडाउन के मामले में, आपूर्तिकार को अपने खर्च पर वाहन की तत्काल व्यवस्था करनी होगी ।

Vehicle should be always with full tank of fuels. In case of breakdown, immediate arrangement of the vehicle shall be made by the supplier with their own cost.

47. किसी भी विषय में, किसी भी प्रकार के किसी भी विवाद के मामले में, आयुक्त, माल और सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपील्स - II, चेन्नई का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा ।

In case of any dispute of any kind, in any respect whatsoever, the decision of the Commissioner of GST and Central Excise Appeals-II, Chennai, shall be final and binding.

48. संविदा प्रदान होने पर, सेवाप्रदाता को इस कार्यालय में आर.सी. बुक की प्रमाणित प्रतियां, व्यापक बीमा पॉलिसी

तथा वाहन के चालक के ड्राइविंग लाइसेंस की प्रतियां प्रस्तुत करना होगा ।
On awarding the contract, the Service Provider has to furnish this office with the certified copies of RC Book, the comprehensive insurance policy and copies of driving license of the driver of the vehicle.

49. आयुक्त, माल और सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपील्स - II कार्यालय, चेन्नई के साथ-साथ वाहन के उपयोग हेतु नियत किए गए किसी भी अधिकारी के अनुदेशों को पूरा करने के लिए सेवा प्रदाता एवं उनके चालक बाध्य होंगे ।
The Service Provider and his driver shall be bound to carry out the instructions of the Office of the Commissioner of GST and Central Excise, Appeals-II , Chennai as well as any of the Officers assigned to use the vehicle.

50. प्रदान किए जाने वाला वाहन आयुक्त, माल और सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपील्स - II कार्यालय, चेन्नई के अनन्य उपयोगार्थ होना चाहिए । तैनात किए जाने वाला वाहन का उपयोग सेवा प्रदाता द्वारा किसी अन्य वाणिज्यिक / व्यक्तिगत प्रयोजन या कोई अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा ।
The vehicle provided should be of exclusive use of Office of the Commissioner of GST & Central Excise, Appeals-II , Chennai. The vehicle to be deployed will not be used for any other commercial/ personal purpose or any other purpose by the Service Provider.

51. करार / Agreement: -

(i) सफल बोलीकर्ता को विभाग के साथ अनुलग्नक - ई के अनुसार संविदा करार को निष्पादित करना होगा तथा संविदा करार की वैधता करार में निर्दिष्ट तिथि से एक वर्ष की अवधि तक के लिए होगी ।
The successful bidder will have to execute a contract agreement as per **Annexure - E** with the department and the validity of contract agreement will be for a period of one year from the date specified as per the agreement.

52. यदि कोई वाहन उपरोक्त नियमों व शर्तों को पूरा करने में विफल रहता है तो प्रति वाहन प्रति दिन रु. 500/- का जुर्माना लगाया जाएगा ।
A penalty of Rs.500/- per day per vehicle shall be levied if any vehicle fails to meet the above terms and conditions.

53. विभाग के इच्छानुसार, प्रतिमाह के अधिकतम दिन के अध्यधीन, जबसे वाहन किराए पर लिए गए है तब से 24x7 के आधार पर किसी भी दिन के किसी भी समय वाहन उपलब्ध होना चाहिए ।
The vehicle must be available at any time of any day on 24 X 7 basis, subject to maximum number of days per month from which the vehicle is hire, as desired by the department.

54. आयुक्त, माल और सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपील्स - II कार्यालय, चेन्नई का दायित्व सिर्फ संविदा मूल्य तक सीमित है ।
The liability of Office of the Commissioner of GST and Central Excise, Appeals-II , Chennai is limited to the contract value only.

55. इस करार की अवधि के दौरान कोई भी मामला, जो विशोष रूप से इस करार में समाविष्ट नहीं है, आयुक्त, माल और सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपील्स - II कार्यालय, चेन्नई द्वारा निर्णीत किया जाएगा, जिनका निर्णय अंतिम एवं निश्चयात्मक होगा ।

Any matter during the period of this agreement, which has not been specifically covered by this agreement, shall be decided by the Office of the Commissioner of GST and Central Excise, Appeals-II, Chennai, whose decision shall be final and conclusive.

56. सटाफ कार के संबंध में प्रति माह अधिकतम 2,500 किलोमीटर के हिसाब से प्रति माह 30/31 दिनों की अधिकतम अवधि के लिए, और ऑपरेशनल वाहन के संबंध में प्रति माह अधिकतम 2,000 किलोमीटर के हिसाब से प्रति माह 25/26 दिनों की अधिकतम अवधि के लिए वाहन का उपयोग किया जाएगा । यदि किसी महीने में 2,000 / 2,500 की विनिर्दिष्ट किलोमीटर अप्रयुक्त रहती है तो उनको प्रथम आवक जावक आधार पर अगली माह में जोड़ा जाएगा।

The usage of the vehicle will be for a maximum period of 30/31 days per month subject to maximum of 2500 km per month in respect of staff car and 25/26 days per month subject to maximum of 2000 km per month in respect of Operational vehicle. **If the specified kilometers of 2000/2500 remain unutilized in a month, the same shall be carried forward to the next months on first in first out basis.**

57. उपरोक्त निर्धारित शर्तों के अलावा और कोई अतिरिक्त निबंधन एवं शर्तों को आयुक्त, माल और सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपील्स - II कार्यालय, चेन्नई द्वारा नहीं स्वीकारा जाएगा ।

No additional terms and conditions over and above the conditions stipulated above shall be entertained by the Office of the Commissioner of GST and Central Excise, Appeals-II, Chennai.

58. इस संविदा से उत्पन्न कोई अन्य विवाद चेन्नई की अदालतों के क्षेत्राधिकार के अध्यधीन होगा ।

Any other dispute arising out of the contract will be subject to the jurisdiction of Courts of Chennai.

(वाई श्रीनिवास राव/ Y. SRINIVASA RAO)
संयुक्त आयुक्त / JOINT COMMISSIONER
अपील्स - II / APPEALS-II

अनुलग्नक - क / Annexure-A

तकनीकी बोली /TECHNICAL BID

1.	बोलीकर्ता का नाम / Name of the Bidder:		
2.	पता / Address:		
3.	बोलीकर्ता का मोबाइल सं. Mobile no. of the Bidder:		
4.	पैन सं. (प्रमाण हेतु स्व अनुप्रमाणित प्रति एवं ३ साल का आयकर रिटर्न संलग्न करें) / PAN No. (enclose self attested copy of proof & 3 Years IT Return):		
5.	मा.से.क. पंजीकरण सं. (प्रमाण हेतु स्व अनुप्रमाणित प्रति एवं अंतिम बार भरा गया मा.से.क. रिटर्न संलग्न करें) / GST Registration no. (enclose self attested copy of proo f & last filed GST return):		
6.	वाहन के नाम / Name of the Vehicle:	1. 2. 3.	
7.	बयाना के विवरण / Details of the Earnest Money: -		
	(i) बैंक का नाम / Name of the Bank:		
	(ii) डी.डी.सं.व दिनांक/D. D. No. & Dat		
	(iii) राशि/Amount:		
	(iv) अगर छूट हो तो (सर्मथक दस्तावेज़ों जैसे की बिड सिक्योरिटी सर्टिफिकेट को संलग्र करें) / In case of Exemption (supporting documents enclosed i.e. Bid Security Certificate):		
8 #	वाहन के विनिर्माण का मॉडल एवं वर्ष Model and year of manufacture of Vehicle.	वाहन मॉडल Vehicle model	विनिर्माण का वर्ष Year of manufacture
		1. 2. 3.	1. 2. 3.
9.	प्रत्येक वाहन की आर.सी. बुक सं. (प्रमाण हेतु स्व अनुप्रमाणित प्रति संलग्न करें) RC Book No. for each vehicle (enclose self attested copy of proof)	1. 2. 3.	
10.	निविदा दाखिल करने की तिथि तक वाहन कितने किलोमीटर चला है Kms run by the vehicle upto date of filing of tender.	1. 2. 3.	

11.	क्या किसी भी केन्द्रीय / राज्य सरकार या केन्द्रीय / राज्य सरकार के उपक्रमों द्वारा काली-सूची में डाला गया है? यदि काली-सूची में डाला गया है तो, विवरण दें । (निर्धारित प्रपत्र में गैर-कालीसूचीकरण का शपथपत्र प्रस्तुत करें) Whether blacklisted by any Central /State Government or Central / State Government under takings? If blacklisted, indicate details.(submit the affidavit about non-blacklisting in prescribed format)	
12.	क्या किसी अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया है? यदि दोषी ठहराया गया है तो, विवरण दें तथा न्यायालय के आदेश की स्व अनुप्रमाणित प्रति संलग्न करें । Whether convicted any court of law? If convicted, indicate details and enclosed a self attested copy of the court's order.	

उन बोलीकर्ताओं के लिए लागू नहीं होता है जो संविदा मिलने पर नया वाहन देना चाहते है ।

Not applicable for the bidder who wants to give a new vehicle if the contract is awarded to him.

प्रमाणित किया जाता है कि निविदा दस्तावेज़ में अनुबंधित सभी नियम व शर्तें स्वीकार्य हैं ।

It is certified that all terms and conditions stipulated in the tender document is acceptable.

सील सहित बोलीकर्ताका नाम व हस्ताक्षर

दिनांक / Date :

Name and Signature of bidder with seal

(सभी विवरण एवं संबंधित प्रतियों को भरा जाए तथा हस्ताक्षरित प्रति को तकनीकी बोली लिफाफे का हिस्सा मानकर उसे स्केन करके ऑनलाइन अपलोड किया जाए ।

All details & relevant copies have to be filled and signed copy has to be scanned and uploaded online as part of Technical Bid Envelope)

अनुलग्नक - ख / ANNEXURE-B

मूल्य / वित्तीय बोली दस्तावेज़ / PRICE/ FINANCIAL BID DOCUMENT

(11) मूल्य बोली वचनबंध

(a) Price bid undertaking

(बी) बी.ओ.क्यू _ वेहिकलहैयरिंग.एक्सएलएस के रूप में मूल्य बोली की अनुसूची

(b) Schedule of price bid in the form of BOQ_Vehiclehiring.xls

मूल्य बोली वचनबंध / PRICE BID UNDERTAKING

प्रेषक : (बोलीकर्ता का पूरा नाम व पता)
From: (Full name and address of the Bidder)______________________

____

सेवा में / To,

आयुक्त, माल और सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

The Commissioner, GST & Central Excise,

अपील्स - II आयुक्तालय, चेन्नई

Appeals-II Commissionerate, Chennai.

महोदय / महोदया,
Dear Sir/Madam,

मैं बोली दस्तावेज में परिकल्पित किए गए अनुसार ______________________ एवं संबंधित गतिविधियों के लिए मूल्य बोली प्रस्तुत करता हूँ ।

I submit the Price Bid for ______________________and related activities as envisaged in the Bid document.

2. मैंने बोली दस्तावेज में उल्लिखित सभी निबंधन एवं शर्तों की पूरी जांच कर उन्हें समझ लिया है और उनका पालन करने के लिए सहमत हूँ ।

I have thoroughly examined and understood all the terms and conditions as contained in the Bid document, and agree to abide by them.

3. मैं जी.एस.टी. के सिवाय सभी लागू करों सहित मूल्य बोली में उल्लिखित दरों पर कार्य करने का प्रस्ताव रखता हूँ ।

I offer to work at the rates as indicated in the price Bid, inclusive of all applicable taxes except GST.

भवदीय / Yours faithfully

प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
Signature of Authorized Representative

अनुलग्नक - ग / Annexure - C

नोटरी (लोक) नागरिक न्यायलय,
The Notary (Public) Civil Court,

मै--- उम्र ---------------------------------------
------------------------ का पुत्र
--- का निवासी सत्यनिष्ठा से निम्नानुसार यह पुष्टि करता हूँ ।

I .... aged about ....son of .... residing at................ .... do hereby solemnly affirm state as follows:

कि मैं मेर्सस ------------------- का मालिक हूँ । / That **I am the proprietor of M/s**

1. कि मेरी एजेंरी / फर्म / केन्द्र या राज्य सरकार / केन्द्र या राज्य सरकार के उपक्रमों को वाहन की किराएदारी हेतु आयुक्त, माल और सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अपील्स - II, न्यूरी टवर्स, सं.2054-I, II एवेन्यू, अण्णानगर, चेन्नई के दिनांक ___________ की निविदा में भाग लेने की अनुमति दी गई है ।
   That my Agency / firm / Central or State Government / Central or State government undertakings has been allowed to participate in the tender dated .... of the Office of Commissioner of GST & C.Ex, Appeals-II, Newry Towers, No.2054-I, II Avenue, Annanagar, Chennai for **hiring of vehicle.**

1. कि मुझे किसी भी अदालत द्वारा अब तक न तो दोषी माना गया है और न ही कोई संज्ञान लिया गया है ।
   That, I have neither been convicted nor any cognizance has been taken against by any Court of Law till date

3. कि मेरी एजेंसी / फर्म / केन्द्र या राज्य सरकार / केन्द्र या राज्य सरकार के उपक्रमों को किसी भी केन्द्र/ राज्य सरकार के विभाग तथा केन्द्र या राज्य सरकार के उपक्रमों द्वारा कालीसूचित नहीं किया गया है ।
   That my Agency / firm / Central or State Government / Central or State government undertakings has not been blacklisted from any Central / **State Government Department and Central or State government undertakings.**

जहां तक पता है और विश्वास है, उपरोक्त बयान सही है ।
The above statement is true to the best of knowledge and belief.

गवाह / Witness | **अभिसाक्षी / Deponent**

1.

(सभी विवरण एवं संबंधित प्रतियों को भरा जाए तथा हस्ताक्षरित प्रति को तकनीकी बोली लिफाफे का हिस्सा मानकर उसे स्केन करके ऑनलाइन अपलोड किया जाए ।
All details & relevant copies have to be filled and signed copy has to be scanned and uploaded online as part of Technical Bid Envelope)

अनलग्नक - घ /Annexure-D

निष्पादन सुरक्षा हेतु बैंक गारंटी का प्रोफार्मा
Proforma of Bank Guarantee for performance security
(मुहर अधिनियम के अनुसार मुहर लगाई जाए)
To be stamped inaccordance with stamp Act)

संदर्भ सं. / Ref. No. दिनांक / Date:
बैंक गारंटी सं. / Bank Guarantee no. दिनांक / Date:

सेवा में / To,
संयुक्त आयुक्त , माल और सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
The Joint Commissioner of GST and Central Excise,
अपील्स - II आयुक्तलय
Appeals-II Commissionerate,
चेन्नई / Chennai.

आदरणीय महोदय / Dear Sir,

आयुक्त, माल और सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का कार्यालय, अपील्स - II, न्यूरी टावर्स, सं. 2054-I, II एवेन्यू, अण्णा नगर, चेन्नई - 40 (इसमें इसके पश्चात् "मालिक" के रूप में उल्लिखित, जिस उक्ति से, जब तक प्रसंग अथवा उसके तात्पर्य का प्रतिकूल न हो, उसके उत्तराधिकारी, प्रशासक तथा समनुदेशिती शामिल हैं) ने मेमर्स .... जिनका पंजीकृत कार्यालय .... पर है, (इसमें इसके पश्चात् 'ठेकेदार' के रूप में उल्लिखित, जिस उक्ति से, जब तक प्रसंग अथवा उसके तात्पर्य का प्रतिकूल न हो, उसके उत्तराधिकारी, प्रशासक तथा समनुदेशिती शामिल हैं) को दिनांक .... के प्रदान - पत्र, जिसकी पावती ठेकेदार ने दी है, द्वारा वाहन की किराएदारी के संबंध में संविदा प्रदान की है । संपूर्ण संविदा के निष्ठापूर्वक निष्पादन के संबंध में ठेकेदार ने रु. .... की राशि की संविदा निष्पादन गैरंटी देने के लिए सहमति व्यक्त की है ।

In consideration of the office of Commissioner of GST & Central Excise, Appeals-II, Newry Towers, No.2054-I, II Avenue, Anna nagar, Chennai 40 (hereinafter referred to as the "owner", which expression shall unless repugnant to the contest or meaning there of include its successors,administrators and assigns) having awarded the contract for hiring of .... vehicles (specification) to M/s.. with its registered office at .... (hereinafter referred to as "contractor" which expression shall unless repugnant to the context or meaning thereof, include its successors, administrators, executors and assigns), by letter of Award no dated and the same having been acknowledged by the "contractor" resulting in a contract to be executed for which the contractor having agreed to provide a contract performance guarantee for the faithful performance of the entire contract amounting to Rs (Rupees) only.

हम .... (बैंक का नाम और पता) जिसका प्रधान कार्यालय ....पर है (इसमें इसके पश्चात् 'बैंक' के रूप में उल्लिखित, जिस उक्ति से, जब तक प्रसंग अथवा उसके तात्पर्य का प्रतिकूल न हो, उसके उत्तराधिकारी, प्रशासक, निष्पादक तथा समनुदेशिती शामिल हैं) एतद्‌द्वारा गैरंटी देते हैं और मालिक को, मांगने पर, ठेकेदार द्‌वारा देय कोई या सभी धन का रु. .... (रुपए .... मात्र) की सीमा तक, भुगतान करने का उत्तरदायित्व लेते हैं ।

We .... (name and address of the bank) having its head office at (hereinafter referred to as the 'bank' which expression shall, unless repugnant to the context or meaning thereof, include its successors, administrators, executors and assigns) do hereby guarantee and undertake to pay the owner, on demand any or all monies payable by the contractor to the extent of Rs (Rs only).

ऊपर बताए गए अनुसार ही, ...तक (दिन / मास / वर्ष) किसी भी समय, बिना किसी आपत्ति, प्रतिबंध, विवाद, वसूली - अधिकार अथवा विरोध के और / अथवा ठेकेदार के कोई हवाले के ।

Only as aforesaid, at any time up to .... (days/month/year) without any demur, reservation, contest, recourse or protest and / or without any reference to the contractor.

मालिक और ठेकेदार के बीच मतभेद अथवा किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण, विवाचक अथवा किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी भी विवाद के होते हुए भी, मालिक द्‌वारा बैंक पर की गई कोई ऐसी मांग निश्चायक और बाध्यकारी होगी । उक्त गैरंटी के चालू रहते हुए, मालिक की पूर्ण सहमति के बिना, उसका प्रतिसंहरण न करने के लिए बैंक वचनबद्ध है । बैंक आगे सहमत है कि इसमें समाविष्ट गैरंटी, मालिक द्‌वारा उसके उन्मोचन किए जाने तक, प्रवर्त्तनीय जारी रहेगी ।

Any such demand made by the owner on the bank shall be conclusive and binding notwithstanding any difference between the owner and the contractor or any dispute pending before any court, tribunal, arbitrator or any other authority. The bank undertakes not to revoke this guarantee during its currency without previous consent of the owner and further agrees that the guarantee herein contained shall continue to be enforceable till the owner discharges this guarantee.

मालिक को पूर्ण स्वतंत्रता है कि वह, गैरंटी के अधीन बैंक की देयता को किसी भी तरह प्रभावित किए बिना, ठेकेदार द्‌वारा संविदा के निष्पादन की अवधि को समय समय पर बढ़ाए । मालिक को पूर्ण स्वतंत्रता है कि वह, इस गैरंटी को प्रभावित किए बिना, उसको न्यस्त शक्तियों अथवा ठेकेदार के खिलाफ उनको उपलब्ध किसी अधिकार के प्रयोग को समय - समय पर लंबित करे और किसी भी समय किसी भी प्रकार से उनका उपयोग करे और मालिक और ठेकेदार के अनुबंध में समाविष्ट अथवा सूचित किसी प्रसंविदा को प्रवर्त्तित करे अथवा न करे अथवा मालिक को उपलब्ध किसी अन्य प्रक्रिया अथवा प्रतिविधान अथवा सुरक्षा - उपाय अपनाए । इन विलेखों के अध्यधीन, उपरोक्त मामलों के संदर्भ में, मालिक द्‌वारा उनकी स्वतंत्रता के जरिए किए गए किसी भी प्रयोग द्‌वारा अथवा मालिक की ओर से भूल-चूक के कारण अथवा किसी अन्य मामले से, जो इन प्रावधानों के न होने पर, कानून के तहत बैंक को उन्मोचित करने का प्रभाव रखते हैं, बैंक अपनी बाध्यताओं से उन्मोचित नहीं होती ।

The owner shall have the fullest liberty without affecting in any way the liability of the bank under the guarantee from time to time to extend the time for performance or the contract by the contractor. The owner shall have the fullest

liberty, without affecting this guarantee, to postpone from time to time the exercise of any powers vested in them or of any right which they might have against the contractor and to exercise the same at any time in any manner, and either to enforce or to forbear to enforce any covenants, contained or implied, in the contract between the owner and the contractor or any other course or remedy or security available to the owner. The bank shall not be released to its obligation under these presents by any exercise by the owner of its liberty with reference to the matters aforesaid or any of them or by reason of any other act of omission or commission on the part of the owner or any other indulgences shown by the owner or by any other matter or thing whatsoever which under law would, but for this provisions have the effect of relieving the bank.

बैंक सहमत है कि मालिक को यह विकल्प है कि वह ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई किए बिना तथा ठेकेदार की देयताओं के संबंध में मालिक को उपलब्ध प्रतिभूति अथवा अन्य गैरंटी के होते हुए भी, बैंक को प्रधान ऋणी मानकर, प्रथमतः बैंक के खिलाफ इस गैरंटी को प्रवर्तित करे ।
The bank also agrees that the owner at its option shall be entitled to enforce this guarantee against the bank as a principal debtor, in the first instance without proceeding against the contractor and not withstanding any security or other guarantee the owner may have in relation to the contractor's liabilities.

इसमें इसके पूर्व किसी बात के होते हुए भी इस गैरंटी के तहत हमारी देयता ....तक सीमित है तथा यह .... को सम्मिलित करते हुए .... तक प्रवृत्त होगी तथा मेमर्स .... जिनकी ओर से गैरंटी दी गई है, द्वारा वांछानुसार, ऐसी अवधि तक (जो एक वर्ष से अधिक न हो) समय - समय पर बढ़ाई जा सकती है ।
Notwithstanding anything contained herein above our liability under this guarantee is restricted to .... and it shall remain in force up to and including... and shall be extended from time to time for such period (not exceeding one year), as may be desired by M/s ......
....on whose behalf this guarantee has been given.

साक्षी / Witness:

(हस्ताक्षर / signature)
(नाम / name)

(कार्यालीन पता / official address)

(हस्ताक्षर / signature)
(नाम / name)

(कार्यालीन पता / official address)

दिनांक .... के मुख्तारनामा संख्या .... के अनुसार मुख्तार ।
Attorney as per power of Attorney no.................date........................

अनुलग्नक - ङ

Annexure- E

संयुक्त आयुक्त, आयुक्त का कार्यालय, माल और सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपील्स - II आयुक्तालय, चेन्नई - 40 एवं मेसर्स.. के मध्य किराये पर लिए गए वाहन का संविदा करार ।
Hired Vehicle Contract Agreement between the Joint Commissioner of GST AND Central Excise, Office of the Commissioner of GST and Central Excise, Appeals-II Commissionerate, Chennai-40 and
M/s.

क. उद्देशिका:

एक ओर आयुक्त का कार्यालय, माल और सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अपीलस - II, न्यूरी टावर्स, सं. 2054-I, II एवेन्यू, अण्णा नगर, चेन्नई - 40 एवं दूसरी ओर मेसर्स ________________________ जिनका पता __________ है (जब तक वर्जित न हो या संदर्भ के प्रतिकूल न हो, 'दूसरी ओर' अभिव्यक्ति से उनका कार्यालय अथवा उनके द्वारा समनुदेशित को इसमें शामिल माना जाएगा) के मध्य 2021 के____________________दिन यह करार किया जाता है ।

A. Preamble:

This agreement is made on day of 2021 between the office of Commissioner of GST & Central Excise., Appeals-II Newry Towers, No.2054-I, II Avenue, Annanagar, Chennai 40 of the one part and M/s having Address

the other part (which expression shall unless excluded by or repugnant to the context by deemed to include his in office or assigned of the other part).

ख. जबकि : आयुक्त का कार्यालय, माल और सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अपीलस - II आयुक्तालय, न्यूरी टावर्स, सं. 2054-I, II एवेन्यू, अण्णा नगर, चेन्नई - 40 ने निविदा दस्तावेज में अनुबंधित निबंधन तथा शर्तों एवं नीचे दिए गए खंड 'घ' में उल्लेखानुसार मासिक आधार पर किराए पर वाहन (वाहन का नाम) देने के लिए मेसर्स को पत्र जारी किया है ।

B. Whereas: Office of the Commissioner of GST and Central Excise, Appeals-II Commissionerate, Newry Towers, No.2054-I, II Avenue, Annanagar, Chennai 40 has issued letter award toM/s
for providing hired vehicle
(Vehiclename)on monthly basis as per term and conditions stipulated in tender documents and elaborated in clause 'D' below.

ग. संविदा :

मेसर्स नीचे उल्लिखितानुसार वैध प्रभारों पर किराए पर वाहन (उपरोक्त खण्ड 'ख' के अनुसार) प्रदान करने के लिए सहमत है :

C. Contract :

M/s agrees to provide hired vehicles (As in clause 'B' above) on the charges valid as mentioned as below :

1. प्रभार संचालन गाड़ियों की संख्या (वहान का नाम) रु की दर से (जी. एस. टी. को छोड़कर) प्रतिमाह के सफर तक तथा किसी महीने में कि.मी. से अधिक होने पर रु प्रतिमाह की दर से ।

Charges nos of operational cars with (vehicle name) @ Rs /-(excluding GST) per month for run upto kms per month and @ Rs /- per km above kms in a month.

2. संविदा करार की वैधता: संविदा करार की वैधता 01.04.2021 से 31.03.2022 तक होगी ।
Validity of the Contract agreement: The validity of the contract agreement will be from 01.04.2021 to 31.03.2022.

घ. वाहन किराए पर लेने के नियम एवं शर्ते :

D. Terms and Condition for hiring of the vehicle:

1. निष्पादन सुरक्षा / प्रत्याभूति:-
Performance Security/Guarantee:-

सफल निविदाकर्ता किसी भी क्षति/उगाही/दावे के लिए पूर्ण रूप से और अकेले ही उत्तरदायी होंगे और उक्त क्षति / उगाही / दावे का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होंगे । इस संदर्भ में, सफल बोलीदाता, आयुक्त,माल और सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अपील-II आयुक्तालय के पक्ष में सुरक्षा निष्पादन के प्रति सभी 3 वाहनों के संबंध में बोली दस्तावेजों में निर्दिष्ट संविदा के मूल्य के पांच प्रतिशत की राशि के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी प्रस्तुत करेगा, जो चेन्नई में देय होगी । सुरक्षा निष्पादन, वारंटी दायित्वों सहित आपूर्तिकर्ता के सभी संविदात्मक दायित्वों के पूरा होने की तारीख से परे साठ दिनों की अवधि के लिए वैध रहेगा ।
The successful tenderer will be wholly and solely responsible for any damage/levy/claim will be liable to pay the said damage/levy/claim. In this context, the successful bidder will submit Bank Guarantee issued by a Nationalized Bank for an amount of five percent of the value of the contract as specified in the bid documents, in respect of all 3 vehicles towards performance security in favour of the Commissioner of GST and Central Excise, Appeals-II Commissionerate payable at Chennai. Performance Security should remainvalid for a period of sixty days beyond the date of completion of all contractual obligations of the supplier including warranty obligations.

2. संविदा की उप-किराएदारी / Subletting of Contract: -

सफल बोलीदाता को इस संविदा को उप - किराएदारी पर / उप - निविदा के तौर पर किसी अन्य ठेकेदार को देने की अनुमति नहीं है ।
The successful bidder shall not be allowed to sublet / subcontract thecontract to any other contractor.

3. संविदा की अवधि / Contract period: -

(i) संविदा प्रत्येक वाहन के संबंध में अलग से दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2022 तक की अवधि के लिए लागू होगी ।

The contract shall be in force for a period from 01.04.2021 to 31.03.2022 in respect of each vehicle separately.

(ii) आयुक्त, माल और सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अपील्स - II, न्यूरी टॉवर्स, सं. 2054 - I, II एवेन्यू, अण्णा नगर,चेन्नई को समयावधिबढ़ाने या कम करने का अधिकार है । आयुक्त का कार्यालय, माल और सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, न्यूरी टॉवर्स, सं. 2054 - I, II एवेन्यू, अण्णा नगर,चेन्नई -40 को, खराब निष्पादन के मामले में, एक महीने की अग्रिम सूचना देने के बाद संविदा को समाप्त करने का अधिकार है । सफल बोलीकर्ता के असंतोषजनक निष्पादन की स्थिति में विभाग के पास सफल बोलीदाता के संविदा को समाप्त करने और किसी अन्य इच्छुक वैध बोलीदाता को आबंटित करने का अधिकार होगा। तत्काल निविदा प्रणाली में परिवर्तन के प्रविष्ट होने की स्थिति में संविदा को समय से पहले समाप्त किया जा सकता है।

The Commissioner of GST and Central Excise, Appeals-II Newry Towers, No.2054-I, II Avenue, Annanagar, Chennai reserves the right to extend or reduce the period of time. The office of Commissioner of GST & CX, Newry Towers, No.2054-I, II Avenue, Annanagar, Chennai 40 can terminate the contract in case of poor performance after giving one month advance notice. The department will have the right to terminate the contract of successful bidder and allot the same to any other willing valid bidder in case of unsatisfactory performance of the successful bidder. Thecontractcan also be terminated prematurely in case of introduction of change of system of the instant tender.

(iii) आयुक्त, माल और सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अपील्स - II, न्यूरी टॉवर्स, सं. 2054 - I, II एवेन्यू, अण्णा नगर, चेन्नई - 40 विभाग और सेवा प्रदाता के मध्य करार की अवधि के दौरान किसी भी समय वही नियमों और शर्तों के साथ किराए वाहनों की संख्या बढ़ाने या घटाने का अधिकार रखते हैं।

The Commissioner of GST and Central Excise,Appeals-II Newry Towers, No.2054-I, II Avenue, Annanagar, Chennai 40 reserves the right to increase or decrease the number of hired vehicles at any time with the same terms and conditions during the period of agreement between the Department and the service provider.

4. गाड़ी चालक के लिए क्षमताएं, विनिर्देश और औपचारिकताएं:
Capabilities, specification & formalities for Driver:-

(i) बोलीदाताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि कार्यरत गाड़ी चालकों के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस और साफ ड्राइविंग रिकॉर्ड हो।
The bidders must ensure that the drivers employed have valid driving license and clean driving record.

(ii) प्रदान किए गए वाहन के चालकों को यातायात नियमों और समय - समय पर सरकार द्वारा निर्धारित अन्य सभी विनियमों का पालन करना होगा ।
The drivers of the vehicle provided must follow traffic rules and all other regulations prescribed by the Government from time to time.

(iii) गाड़ी चालक ड्यूटी करते समय सभी शिष्टाचार और प्रोटोकॉल का पालन करेंगे और बड़े करीने से कपड़े पहने होंगे।
The drivers shall observe all the etiquette and protocol while performing the duty and shall be neatly dressed.

(iv) गाड़ी चालकों को गाड़ी चलाने का न्यूनतम 5 साल का अनुभव होना चाहिए । उनके पास किराये पर यात्री वाहन चलाने के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए ।

The drivers should have minimum 5 years of experience of driving. They should have valid driving license for driving passenger vehicles on hire.

(v) चालक को चेन्नई में सड़कों और स्थानों की अच्छी तरह जानकारी होनी चाहिए और शहर/शहरी ड्राइविंग के साथ-साथ ग्रामीण ड्राइविंग में भी अनुभव होना चाहिए ।

The drivers should be well versed with the road sand the places in Chennai and should have experience in city/urban driving as well as rural driving.

(vi) एक बार चालक को किसी विशेष वाहन का आवंटन हो जाने के उपरांत उसे कम से कम एक वर्ष की अवधि तक उसी वाहन के साथ रहना होगा । मनोनीत चालक में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की सूचना संबंधित अधिकारी को इस तरह का परिवर्तन प्रभावी होने के 24 घंटे से पहले दी जानी चाहिए ।
Once the driver has been allotted to a particular vehicle, he should remain with the same vehicle for a period of at least one year. Any change in the designated driver should be intimated to the concerned officer before24 hours such change is effected.

(vii) वहान चालक को एक अच्छा काम करने वाला मोबाइल फोन प्रदान किया जाना होगा जो किसी भी समय स्विच ऑफ मोड में नहीं हो ।
The driver should be provided with a good working mobile phone which should not in switch off mode at any point of time.

(viii) वहान चालक सभ्य और शिष्ठ व्यवहार का हो और उसके विरुद्ध कोई भी आपराधिक / प्रतिकूल पुलिस रिकॉर्ड नहीं हो और दुर्घटनाओं का कोई भी पूर्वेतिहास नहीं हो।

The driver should be decent and well behaved and should not have any criminal/adverse police record against him and he should not have any past history of accidents.

(ix) वहान चालक को नशे की लत नहीं हो ।
The driver should not be addicted.

(x) चालक अल्प सूचना पर बाह्य स्थान यात्रा के लिए तैयार / मुस्तैद हो।
The driver should be ready/prepared for out station journeys at short notice.

5. बिलिंग और भुगतान / Billing and Payment: -

(i) बिलिंग मासिक आधार पर की जाएगी । मासिक बिल, दो प्रतियों में, संबंधित वाहन प्रभारी को महीने के अंतिम सेवा दिवस पर या जल्द से जल्द प्रस्तुत किया जाएगा। औचित्य के बिना उपरोक्त अवधि के बाद बिल की गैर - प्रस्तुति पर विचार नहीं किया जाएगा और यह माना जाएगा कि बोली लगाने वाले के पास भुगतान का कोई दावा नहीं है।
The billing will be done on monthly basis. The monthly bills, in duplicate, shall be submitted to the concerned vehicle in-charge on thelast service day

of the month or at the earliest. Non-submission of the bill beyond the above period without justification would not be entertained and it would be presumed that bidder has no claim for payment.

(ii) विभाग कोई अग्रिम भुगतान नहीं करेगा।
The department willnot make any advance payment.

6. अर्थ दंड / Penalty: -

(i) यदि कोई वाहन या चालक या एजेंसी / फर्म किसी भी दिन प्रभावी नियम व शर्तों को पूरा करने में विफल रहती है तो प्रति वाहन रु. 500/- मात्र का अर्थ दंड लगाया जाएगा ।

A penalty of Rs. 500/- only per vehicle will be levied if any vehicle ordriver or agency /firm fail to meet effective terms and conditions on anyday.

7. अन्य अनुबंधन एवं शर्तें / Other Terms and conditions: -

(i) सभी दिनों में स्टाफ कार के रूप में कार्यालय के लिए महीने में अधिकतम 2500 किलो मीटर और 26/26 दिनों में संचालन कॉर के रूप में महीने में अधिकतम 2000 किलो मीटर की दूरी तय करने की शर्त पर वाहनों का उपयोग किया जाएगा ।

The vehicles willbe used for office as Staff car on all days subject to a maximum of 2500 kms in a month and operational car upto 25/26 days subject to maximum 2000 kms in a month.

(ii) परिचालन उपयोग की अवधि के दौरान वाहन आयुक्त, माल और सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अपील-II न्यूरी टावर्स, नंबर 2054-I, II एवेन्यू, अण्णानगर, चेन्नई 40 के नियंत्रणाधीन माना जाएगा और ठेकेदार को खंड के अनुसार वाहन उपलब्ध कराना होगा ।

The vehicles will be deemed to be at the disposal of the Commissioner of GST and Central Excise, Appeals-II Newry Towers, No.2054-I, II Avenue, Annanagar, Chennai 40 during the period of operational use and contractor shall have to make available the vehicle as per the clause.

(iii) वाहन विभाग की इच्छानुसार किसी भी दिन किसी भी समय उपलब्ध होना चाहिए । इसके अलावा, किसी भी वाहन के खराब होने की स्थिति में, स्थानापन्न वाहन समय पर प्रदान किया जाएगा, जिसमें विफल होने पर विभाग को बाजार से वाहन किराए पर लेने का अधिकार होगा और इस पर होने वाली लागत फर्म द्वारा वहन की जाएगी ।

The vehicles must be available at any time of any day as desired by the department. Also, in case of breakdown of any vehicle, substitute vehicle shall be provided in time failing which the department shall have the right to hire a vehicle from the market and cost incurred to this will be borne by the firm.

(iv) इस कार्यालय के पदधारी का दायित्व संविदा में स्वीकृत किराया प्रभार तक सीमित होगा ।
The liabilities of the official of this office will be limited to the hiring charges agreed in the contract.

(v) विभाग को उपलब्ध कराए गए वाहनों की सुरक्षा और संरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह से ठेकेदार की है। यह भी ठेकेदार की पूर्ण जिम्मेदारी है कि वह संविदा की वैधता के दौरान वाहन को होने वाले किसी भी क्षति / मरम्मत का ध्यान रखे।

The responsibility for the safety and security of the vehicles provided to department solely lies with the contractor. It is also the contractor's absolute responsibility to take care of any damage / repairs caused to the vehicle during the validity of the contract.

(vi) वाहन को राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित कानूनी दायित्वों जैसे मार्ग कर का भुगतान आदि को पूरा करना होगा । विभिन्न सांविधिक कानूनों के अंतर्गत सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया जाना चाहिए। कोई भी चूक ठेकेदार की देयता होगी और यह विभाग किसी भी मामले में उत्तर दायी नहीं होगा । किसी दुर्घटना या किसी अन्य आकस्मिकता के मामले में, इससे उत्पन्न होने वाला कोई भी दावा ठेकेदार द्वारा ही वहन किया जाएगा और चेन्नई अपील्स - II आयुक्तालय द्वारा कोई भी दावा वहन नहीं किया जाएगा ।

The vehicle should fulfill the legal obligations prescribed by the State Transport Authoritylike payment of road tax, etc. All requirements under various statutory laws must be complied with. Any default will be liability of the contractor and this department shall not be liable in any matter whatsoever. In case of any accident or any other contingency, any claim arising out of it shall be borne by the contractor only and no claim whatsoever shall be borne by the Chennai Appeals – II Commissionerate, Chennai.

(vii) वाहनों का बीमा और वाहनों में यात्रा करने वाले यात्रियों के जोखिम को ठेकेदार द्वारा मोटर वाहन अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट देयता की सीमा तक कवर किया जाना चाहिए ।

Insurance of the vehicles and the risk of passenger travelling in the vehicles should be covered by the contractor to the extent of liability as specified in the Motor Vehicle Act & Rules made there-under or any other law in force.

(viii) वाहन स्वच्छ, गंध मुक्त, उत्कृष्ट स्थिति में, यंत्रवत् उपयुक्त, कार्यालीन उपयोग के लिए उपयुक्त रखना जाना चाहिए और निविदा सूचना की तारीख से 3 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।

Vehicle must be kept clean, odor free, in excellent condition, mechanically fit, suitable for official use and should not be more than 3 years old on the date of the tender notice.

(ix) फर्म / एजेंसी को किसी भी केंद्र सरकार / राज्य सरकार / केन्द्रीय और राज्य उपक्रमों और / या न्यायालय द्वारा काली सूची नहीं रखा जाना चाहिए । काली सूची में फर्म की गैर - सूचीबद्धता के प्रमाण के रूप में एक शपथ - पत्र संलग्न किया जाना चाहिए । प्रमाण के अभाव में निविदा / बोली अस्वीकार की जाएगी ।

The firm / agency should not be blacklisted from any Central Government / State Government / Central and State undertakings and / or convicted by a Court of Law. An affidavit regarding non-blacklistingof the firm should be attached as proof. In absence of proof the tender/bid will be rejected.

(x) संबंधित वाहनों के चालकों को तारीख / समय / चलाए गए किलो मीट को दर्शाते हुए लॉग बुक का रखना होगा जिसे आयुक्त का कार्यालय, माल और सेवा कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अपील-II आयुक्तालय, न्यूरी टावर्स, सं.2054-I, II एवेन्यू, अण्णा नगर, चेन्नई- 40 के कार्यालय में जब कभी आवश्यक हो प्रस्तुत करना होगा ।

Drivers of the respective vehicles should maintain a log book reflecting date / time /Kms run which should be submitted to the Office of Commissioner of GST and Central Excise, Appeals-II Commissionerate, Newry Towers, No.2054-I, II Avenue, Annanagar, Chennai 40 as and when required.

(xi) वाहनों के फ्रंट ग्लास में माल और सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लोगो के साथ पेपर चिपकाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए । तथापि, सख्ती से मात्र कार्य - समय के दौरान "भारत सरकार की ड्यूटी पर" बोर्ड प्रदर्शित की जा सकती है । किराए पर लिए गए वाहनों में आर.टी.ओ द्वारा निर्धारित पीले रंग की नंबर प्लेट होनी चाहिए ।

The vehicles should not be allowed to paste paper print with GST and Central Excise Logo in the front glass. However,it can display board with "On Govt. of India Duty" strictly during working hours. The vehicles hired should have the white colour number plates as prescribed by the RTO.

8. न्यायालय का क्षेत्राधिकार / Jurisdiction of the Court: -

(i) किसी भी प्रकार के किसी भी विवाद के मामले में और निविदा / अनुबंध से उत्पन्न होने वाले किसी भी मामले के संबंध में, चेन्नई में माननीय न्यायालयों का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा । किसी भी अनुबंधन और शर्तों के संबंध में, यदि कुछ भी लुप्त है, तो निविदा दस्तावेजों के प्रावधान अभिभावी होंगे ।

In case of any dispute of any kind and in respect of what so ever arising out of tender/contract, the decision of the Hon'bleCourts at Chennai will be final and binding. Inrespect of any Terms and Conditions, if anything is missing, the provisions of tender documents will prevail.

ङ. लागू कानून: संविदा की व्याख्या भारतीय विधि के अनुसार की जाएगी ।

E. Applicable Law: The contract shall be interpreted in accordance with the Indian Laws.

च. सूचना

F. Notice:

अनुबंध के लिए एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को कोई भी सूचना लिखित या फैक्स द्वारा भेजा जाएगा और संविदा में उस उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट पते पर लिखित रूप में पुष्टि की जाएगी ।

Any notice by oneparty to other pursuant to the contract shall be sentin writing or by fax and confirmed in writing to the address specified for that purpose in the contract.

कोई भी सूचना सुपुर्दगी पर या उसकी प्रभावी तिथि पर प्रभावी होगी, जो भी पहले हो।

A notice shall be effective when delivered or on the notices effective date, whichever is earlier.

आयुक्त का कार्यालय,
माल और सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,
अपील्स - II आयुक्तालय,
न्यूरी टॉवर्स, सं. 2054 -I,
II एवेन्यू, अण्णा नगर, चेन्नई - 40

के लिए एवं की ओर से

For and on behalf of

Office of The Commissioner
of GSTand CentralExcise,
Appeals-II Commissionerate
Newry Towers, No.2054-I,
II Avenue, Annanagar, Chennai-40

(हस्ताक्षर एवं दिनांक / Signature & date)

मसर्स

के लिए एवं की ओर से

For and on behalf of

M/s

(हस्ताक्षर एवं दिनांक / Signature & date)

1. साक्षी /Witness

हस्ताक्षर एवं दिनांक / Signature & date :

2. साक्षी /Witness

हस्ताक्षर एवं दिनांक / Signature & date:

अनुलग्नक - च / Annexure-F

ऑनलाइन बोली प्रस्तुतीकरण हेतु अनुदेश

Instructions for Online Bid Submission:

वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्रों का प्रयोग करते हुए, बोलीकर्ताओं को सी.पी.पी. पोर्टल पर इलेक्ट्रानिक तौर पर अपनी बोलियों की सॉफ्ट प्रतियां प्रस्तुत करना आवश्यक है । नीचे दिये गए अनुदेश बोलिकर्ताओं को सीपीपी पोर्टल पर पंजीकरण करने, अपेक्षितानुसार बोलियाँ तैयार करने और सी.पी.पी. पोर्टल को ऑनलाइन प्रस्तुत करने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए दिए गए हैं ।

The bidders are required to submit soft copies of their bids electronically on the CPP Portal, using valid Digital Signature Certificates. The instructions given below are meant to assist the bidders in registering on the CPP Portal, prepare their bids in accordance with the requirements and submitting their bids online on the CPP Portal.

सी.पी.पी. पोर्टल पर ऑनलाइन बोलियाँ प्रस्तुत करने के लिए उपयोगी अधिक जानकारी https://eprocure.gov.in/eprocure/app से प्राप्त की जा सकती है ।

More information useful for submitting online bids on the CPP Portal may be obtained at: https://eprocure.gov.in/eprocure/app.

पंजीकरण / REGISTRATION

1) बोलीकर्ताओं को सी.पी.पी. पोर्टल पर "ऑनलाइन बोलीकर्ता नामांकन" लिंक पर क्लिक करके केन्द्रीय लोक पापण पोर्टल (https://eprocure.gov.in/eprocure/app) के ई-प्रापण मॉड्यूल पर नामांकन करना आवश्यक है जो कि निः शुल्क है।

   Bidders are required to enroll on the e-Procurement module of the Central Public Procurement Portal (URL: https://eprocure.gov.in/eprocure/app) by clicking on the link“Online bidder Enrollment”on the CPP Portal which is free of charge.

2) नामांकन प्रक्रिया के अंश के रूप में, बोलीकर्ताओं को एक विशिष्ट उपयोगकर्ता नाम चुनने और उनके खातों के लिए एक पासवर्ड नियत करने की आवश्यकता होगी ।

   As part of the enrolment process, the bidders will be required to choose a unique user name and assign a password for their accounts.

3) बोलीकर्ताओं को पंजीकरण प्रक्रिया के अंश के रूप में अपना वैध ई मेल पता और मोबाइल नंबर पंजीकृत करने की सलाह दी जाती है । सी.पी.पी.पोर्टल से किसी भी संप्रेषण के लिए इनका उपयोग किया जाएगा ।

   Bidders areadvisedto register their valid emailaddressandmobilenumbers aspartoftheregistrationprocess.Thesewouldbeused forany communication from theCPPPortal.

4) नामांकन के बाद, बोलीकर्ता को सी.सी.ए. इंडिया (अर्थात sify / n Code / e Mudra इत्यादि) द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी प्रमाणक प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए अपने वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र (क्लास II या क्लास III प्रमाण पत्र हस्ताक्षर कुंजी उपयोगके साथ) को अपने प्रोफाइल के साथ पंजीकृत करना होगा।

Upon enrolment, the bidders will be required to register their valid Digital Signature Certificate (Class II or Class III Certificates with signing key usage) issued by any Certifying Authority recognized by CCA India (e.g.Sify/ n Code/e Mudhraetc.),with their profile.

5) केवल एक वैध डी.एस.सी ही बोली कर्ता द्वारा पंजीकृत किया जाना चाहिए । कृपया ध्यान दें कि बोलीकर्ता यह सुनिश्चित करने के लिए ज़िम्मेदार हैं कि वे अपने डी.एस.सी को दूसरे को प्रदान न करें, जिससे इसका दुरुपयोग हो सकता है ।

Only one valid DSC should be registered by a bidder. Please note that the bidders are responsible to ensure that they do not lend their DSC's to others which may lead to misuse.

6) बोलीकर्ता तब अपनी उपयोगकर्ता आई.डी / पासवर्ड और डी.एस.सी. / ई-टोकन के पासवर्ड को दर्ज करके सुरक्षित लॉग - इन के माध्यम से साइट पर लॉग करेंगे ।

Bidder then logs into the site through the secured log-in by entering their user ID /password and the password of the DSC/e-Token.

निविदा दस्तावेजों की खोज / SEARCHING FOR TENDER DOCUMENTS

1) बोलीकर्ताओं को कई मापदंडों द्वारा सक्रिय निविदाएं खोजने में सुविधा के लिए सी.पी.पी.पोर्टल में विभिन्नखोज विकल्प बनाए गए हैं । इन मापदंडों में निविदा आई.डी, संगठन का नाम, स्थान, तिथि, मूल्य आदि सम्मिलित हो सकते हैं । निविदाओं के लिए उन्नत खोज का विकल्प भी उपलब्ध है, जिसमें बोलीकर्ता सी.पी.पी.पोर्टल पर प्रकाशित निविदा की खोज करने के लिए कई खोज मापदंडों जैसे संगठन का नाम, अनुबंध का प्रकार, स्थान, तिथि, अन्य की -शब्द आदि को सम्मिलित कर सकते हैं ।

There are various search options built in the CPP Portal, to facilitate bidders to search active tenders by several parameters. These parameters could include Tender ID, Organization Name, Location, Date, Value, etc. There is also an option of advanced search for tenders, wherein the bidders may combine a number of search parameters such as Organization Name,Form of Contract, Location, Date, Other keywords etc. to search for a tender published on the CPP Portal.

2) एक बार बोलीकर्ताओं द्वारा उन निविदाओं का चयन कर लिए जाने पर जिनमें वे रुचि रखते हैं, आवश्यक दस्तावेज / निविदा अनुसूची को डाउनलोड कर सकते हैं । इन निविदाओं को संबंधित 'मेरी निविदाएं' फ़ोल्डर में संचालित किया जा सकता है । यदि निविदा दस्तावेज के संबंध में कोई शुद्धि पत्र जारी किया जाता है तो सी.पी.पी पोर्टल को एस.एम.एस / ई-मेल के माध्यम से बोली लगाने वालों को सूचित करने में यह काम आएगा ।

Once the bidders have selected the tenders they are interested in, they may download the required documents/tender schedules. These tender scan be moved to the respective, "MyTenders" folder. This would enable the CPP Portal to intimate the bidders through SMS/ e-mail in case there is any corrigendum issued to the tender document.

3) यदि बोलीकर्ता हेल्पडेस्क से कोई स्पष्टीकरण / सहायता प्राप्त करना चाहता है तो उसे प्रत्येक निविदा को दी गई अनूठी निविदा आई.डी नोट कर रखना होगा ।

The bidder should make a note of the unique Tender IDassigned to each tender, in case they want to obtain any clarification / help from the Helpdesk.

बोलियों की तैयारी / PREPARATION OF BIDS

1) बोलीदाता को अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले निविदा दस्तावेज के संबंध में प्रकाशित किसी भी शुद्धि पत्र को ध्यान में रखना चाहिए।

Bidder should take into account any corrigendum published on the tender document before submitting their bids.

2) कृपया निविदा विज्ञापन और निविदा दस्तावेज को ध्यान से पढ़ें और बोली के अंश के रूप में प्रस्तुत करने हेतु अपेक्षित दस्तावेजों को समझें । कृपया उन कवरों की संख्या नोट करें जिनमें बोली दस्तावेज जमा करने होंगे । प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित प्रत्येक दस्तावेज का नाम और विषयवस्तु सहित दस्तावेजों की संख्या भी नोट करें। इनमें से कोई भी व्यतिक्रम, बोली की अस्वीकृति का कारण हो सकता है ।

Please go through the tender advertisement and the tender document carefully to understand the documents required to be submitted as part of the bid. Please note the number of covers in which the bid documents have to be submitted, the number of documents - including the names and content of each of the document that need to be submitted. Any deviations from these may lead to rejection of the bid.

3) बोलीकर्ता, पहले से,निविदा दस्तावेज / अनुसूची में दर्शाए गए अनुसार प्रस्तुतीकरण हेतु अपेक्षित बोली दस्तावेज तैयार कर लें और आम तौर पर, वे पी.डी.एफ. / एक्स.एल.एस / आर.ए.आर. / डी.डब्ल्यू.एफ / जे.पी.जी प्रारूपों में हो सकते हैं। बोली दस्तावेजों को काले और सफेद विकल्प के साथ 100 डीपीआई के साथ स्कैन किया जा सकता है जो स्कैन किए गए दस्तावेज़ के आकार को कम करने में सहायता करता है ।

Bidder, in advance, should get ready the bid documents to be submitted as indicated in the tender document / schedule and generally, they can be in PDF / XLS / RAR / DWF/JPG formats. Bid documents may be scanned with 100 dpi with black and white option which helps in reducing size of the scanned document.

4) प्रत्येक बोली के एक अंश के रूप में प्रस्तुति हेतु अपेक्षित, मानक दस्तावेजों(जैसे पैन कार्ड आदिकी प्रति) के एकही सेट को अपलोड करने में लगने वाले समय और प्रयास से बचने के लिए ऐसे मानक दस्तावेजों को अपलोड करने का प्रावधान बोली लगाने वालों को उपलब्ध कराया गया है । बोलीकर्ता ऐसे दस्तावेज़ों को अपलोड करने के लिए उसको उपलब्ध "माई स्पेस" या "अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज़" स्थान का उपयोग कर सकता है। ये दस्तावेज़ बोली लगाते समय सीधे "माई स्पेस" स्थान से प्रस्तुत किए जा सकते हैं, और इन्हें बार-बार अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। इससे बोली प्रस्तुत करने की प्रक्रिया हेतु अपेक्षित समय में घटाव होगा ।

To avoid the time and effort required in uploading the same set of standard

documents which are required to be submitted as a part of every bid, a provision of uploading such standard documents (e.g. PAN card copy, etc) has been provided to the bidders. Bidders can use "My Space" or "Other Important Documents" area available to them to upload such documents. These documents may be directly submitted from the "My Space" area while submitting a bid, and need not be uploaded again and again. This will lead to a reduction in the time required for bid submission process.

बोलियों की प्रस्तुति / SUBMISSION OF BIDS

1) बोलीकर्ता को साइट पर पहले से ही लॉग-इन करना होगा ताकि वे बोली को समय से पहले अपलोड कर सके अर्थात बोली प्रस्तुत करने के समय पर या उससे पहले । अन्य मुद्दों के कारण किसी भी प्रकार के विलंब के लिए बोलीकर्ता जिम्मेदार होगा ।
Bidder should log into the site well in advance for bid submission so that they can upload the bid in time i.e. on or before the bid submission time. Bidder will be responsible for any delay due to other issues.

2) बोलीकर्ता को डिजिटल हस्ताक्षर करना होगा और जैसा कि निविदा दस्तावेज में दर्शाया गया है, अपेक्षित बोली दस्तावेजों को एक-एक करके अपलोड करना होगा ।
The bidder has to digitally sign and upload the required bid documents one by one as indicated in the tender document.

3) ई.एम. डी. के भुगतान के लिए जैसा लागू है, बोलीकर्ता को "ऑफ़लाइन" के रूप में भुगतान विकल्प का चयन करना होगा और लिखत के विवरण दर्ज करना होगा ।
Bidder has to select the payment option as "offline" to pay the EMD as applicable and enter details of the instrument.

4) निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट निदेशों के अनुसार बोलीकर्ता को ई.एम.डी. तैयार करना होगा । बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक या निविदा दस्तावेजों में उल्लेखानुसार, संबंधित अधिकारी को मूल रूप में पोस्ट / कुरीयर द्वारा / व्यक्तिगत रूप से दिया जाना है । भौतिक रूप से भेजा गया डी. डी / किसी भी अन्य स्वीकृत लिखत का विवरण, स्कैन प्रति में उपलब्ध विवरण और बोली प्रस्तुत करने के समय दर्ज किए गए डेटा के साथ मेल खाना चाहिए। अन्यथा अपलोड की गई बोली अस्वीकार कर दी जाएगी ।
Bidder should prepare the EMD as per the instructions specified in the tender document. The original should be posted/couriered/given in person to the concerned official, latest by the last date of bid submission or as specified in the tender documents. The details of the DD/any other accepted instrument, physically sent, should tally with the details available in the scanned copy and the data entered during bid submission time. Otherwise the uploaded bid
will be rejected.

5) बोलीकर्ता से अनुरोध किया जाता है कि अनिर्वायत: वे सुलभ कराए गए प्रारूप में ही अपनी वित्तीय बोलियां प्रस्तुत करें और कोई अन्य प्रारूप स्वीकार्य न होगा । यदि निविदा बोली के साथ मूल्य बोली को एक मानक बी.ओ.क्यू प्रारूप के रूप में दिया गया है, तो इसे डाउनलोड किया जाना है और सभी बोलीकर्ता द्वारा भरा जाना है । बोलीकर्ता को बी.ओ.क्यू फ़ाइल

डाउनलोड करने, उसे खोलने और अपने वित्तीय कोटेशनों और अन्य विवरणों (जैसे कि बोली कर्ता का नाम) के साथ रंगीन (असुरक्षित) सेलों को पूरी करने की आवश्यकता है । किसी भी अन्य सेल को परिवर्तित नहीं किया जाना चाहिए । एक बार विवरण पूरा हो जाने के बाद, बोली दाता को फाइल का नाम परिवर्तित किए बिना इसे सेव करके ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा । यदि बी.ओ.क्यू. फ़ाइल को बोली दाता द्वारा संशोधित किया हुआ पाया जाता है, तो बोली अस्वीकार कर दी जाएगी ।

Bidders are requested to note that they should necessarily submit their financial bids in the format provided and no other format is acceptable. If the price bid has been given as a standard BoQ format with the tender document, then the same is to be downloaded and to be filled by all the bidders. Bidders are required to download the BoQ file, open it and complete the coloured (unprotected) cells with their respective financial quotes and other details (such as name of the bidder). No other cells should be changed. Once the details have been completed, the bidder should save it and submit it online, without changing the filename. If the BoQ file is found to be modified by the bidder, the bid will be rejected.

6) सर्वर समय (जिसे बोली कर्ता के डैशबोर्ड पर प्रदर्शित किया जाता है) को बोलीकर्ता द्वारा बोली प्रस्तुत करने के लिए अंतिम तिथि, बोली खोलने आदि का संदर्भ देने के लिए मानक समय माना जाएगा । बोली प्रस्तुत करने के दौरान बोलीदाताओं को इस समय का अनुसरण करना होगा ।

The server time (which is displayed on the bidders" dashboard) will be considered as the standard time for referencing the deadlines for submission of the bids by the bidders, opening of bids etc. The bidders should follow this time during bid submission.

7) डाटा की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए पी.के.आई एन्क्रिप्शन तकनीकों का उपयोग कर के बोलीकर्ता द्वारा प्रस्तुत जाने वाले सभी दस्तावेजों को एन्क्रिप्ट किया जाएगा । दर्ज किया गया डाटा अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा बोली खोलने के समय तक नहीं देखा जा सकता है । सुरक्षित सॉकेट लेयर 128 बिट एन्क्रिप्शन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके बोलियों की गोपनीयता बनाए रखी जाती है । संवेदनशील क्षेत्रों का डाटा संचयन एन्क्रिप्शन किया जाता है। सर्वर में अपलोड किए जानेवाला किसी भी बोली दस्तावेज का, सिस्टम उत्पन्न सिमेट्रिक कुंजी का उपयोग करके, सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन किया जाता है । आगे, इस कुंजी को खरीदकर्ता / बोली खोलने वाले के पब्लिक कीज़ का उपयोग करके एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन किया जाता है । कुल मिलाकर, प्राधिकृत बोली खोलने वाले के द्वारा निविदा खोले जाने पर ही, अपलोड किए हुए निविदा दस्तावेज पठनीय होंगे ।

All the documents being submitted by the bidders would be encrypted using PKI encryption techniques to ensure the secrecy of the data. The data entered cannot be viewed by unauthorized persons until the time of bid opening. The confidentiality of the bids is maintained using the secured Socket Layer 128 bit encryption technology. Data storage encryption of sensitive fields is done. Any bid document that is uploaded to the server is subjected to symmetric encryption using a system generated symmetric key. Further this key is subjected to asymmetric encryption using buyers/bid

opener"s public keys. Overall, the uploaded tender documents become readable only after the tender opening by the authorized bid openers.

8) प्राधिकृत बोली खोलने वाले के द्वारा निविदा खोले जाने पर ही, अपलोड किए हुए निविदा दस्तावेज पठनीय होंगे ।

The uploaded tender documents become readable only after the tender opening by the authorized bid openers.

9) बोलियों के सफल और समय पर प्रस्तुत होने पर (यानी पोर्टल में "फ्रीज बोली प्रस्तुतीकरण" पर क्लिक करने के बाद), पोर्टल सफल बोली प्रस्तुति का संदेश देगा ।

Upon the successful and timely submission of bids (i.e. after Clicking "Freeze Bid Submission" in the portal), the portal will give a successful bid submission message.

10) बोली संख्या, प्रस्तुतीकरण की तारीख एवं समय तथा अन्य सभी प्रासंगिक विवरण के साथ बोली सारांश प्रदर्शित होगा ।

Summary will bedisplayed with the bid no. and the date & time of submission of the bid with all other relevant details.

11) बोली सारांश को प्रिंट करना होगा एवं बोली प्रस्तुत करने की पावती के रूप में रखना होगा । किसी भी बोली खोलने वाली बैठकों के लिए प्रवेश पास के रूप में इस पावती का उपयोग किया जा सकता है ।

The bid summary has to be printed and kept as an acknowledgement of the submission of the bid. This acknowledgement may be used as an entry pass for any bid opening meetings.

बोलिकर्ताओं को सहायता / ASSISTANCE TO BIDDERS

1) निविदा दस्तावेज और उसमें निहित निबंधनों और शर्तों से संबंधित कोई भी प्रश्न संबंधित निविदा के निविदा आमंत्रक प्राधिकारी या निविदा में संसूचित संगत संपर्क व्यक्ति को संबोधित किया जाना चाहिए ।

Any queries relating to the tender document and the terms and conditions contained therein should be addressed to the Tender Inviting Authority for a tender or the relevant contact person indicated in the tender.

2) ऑनलाइन बोली प्रस्तुत करने की प्रक्रिया से संबंधित कोई भी प्रश्न या सामान्य रूप से सी.पी.पी पोर्टल से संबंधित प्रश्न 24x7 सीपीपी पोर्टल हेल्पडेस्क को प्रेषित किए जाएँ ।

Any queries relating to the process of online bid submission or queries relating to CPP Portal in general may be directed to the 24x7 CPP Portal Helpdesk.

****